लोक सभा में 16 मार्च, 2012
को पुरःस्थापित रूप में

2012 का विधेयक संख्यांक 11

[दि फाइनेंस बिल, 2012 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2012

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2012 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 112 तक 1 अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

http://indiabudget.nic.in

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा । आय-कर ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय एक लाख अस्सी हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख अस्सी हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख अस्सी हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख नब्बे हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम, आयु का है, इस

http://indiabudget.nic.in

उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ''एक लाख अस्सी हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दो लाख पचास हजार रुपए'' शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (IV) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ''एक लाख अस्सी हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच लाख रुपए'' शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में यथाविनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा : 1961 का 43

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115ङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

(4) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन कर प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठग, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय ''अग्रिम

कर'' की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या ''अग्रिम कर'', पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, उन दशाओं में और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, ''अग्रिम कर'' की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में यथाविनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित ''अग्रिम कर'' की रकम में, कंपनी के मामले से संबंधित पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित ''अग्रिम कर'' में,—

(क) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के दो प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है और कुल आय दो लाख रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय ''अग्रिम कर'' की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या ''अग्रिम कर'' प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या ''अग्रिम कर'' निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या ''अग्रिम कर'' की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या ''अग्रिम कर'' की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या ''अग्रिम कर'' की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या ''अग्रिम कर'' की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या ''अग्रिम कर'' होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो ''दो लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दो लाख पचास हजार रुपए'' शब्द रखे गए हों:

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो ''दो लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच लाख रुपए'' शब्द रखे गए हों ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या उसका संग्रहण किया जाना है यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय भारत में निवासी देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को संदत्त की जाती है ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या उसका संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय भारत में निवासी देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को संदत्त की जाती है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में, ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में, —

(i) खंड (14) में, अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण—**शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ''संपत्ति'' के अंतर्गत भारतीय कंपनी में या उसके संबंध में कोई अधिकार, जिनके अंतर्गत प्रबंध या नियंत्रण के अधिकार या किसी भी प्रकार कोई अन्य अधिकार सम्मिलित हैं और सदैव से सम्मिलित किए गए समझे जाएंगे ; ';

(ii) खंड (16) में, ''या आयुक्त'' शब्दों के पश्चात्, ''या आय-कर निदेशक'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 1988 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iii) खंड (19कक) के उपखंड (iv) में, ''आनुपातिक आधार पर'' शब्दों के स्थान पर, ''उस दशा के सिवाय, जहां परिणामी कंपनी स्वयं निर्विलीन कंपनी की एक शेयर धारक है, आनुपातिक आधार पर'' शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे;

(iv) खंड (47) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार

संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "अंतरण" के अंतर्गत किसी करार द्वारा (चाहे वह भारत में किया गया हो या भारत के बाहर) या अन्यथा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, आत्यंतिक रूप से या सशर्त, स्वैच्छिक रूप से या अस्वैच्छिक रूप से, किसी आस्ति या उसमें के किसी हित का व्ययन या प्रभाजन या किसी आस्ति में चाहे किसी भी रीति में किसी हित का सृजन, इस बात के होते हुए भी सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित समझा जाएगा कि अधिकारों के ऐसे अंतरण को इस रूप में वर्णित किया गया है कि वे भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनी के शेयर या शेयरों का अंतरण करके किए गए हैं या उस पर निर्भर हैं या उसके कारण अधिक मात्रा में हो गए हैं ; '।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में,— धारा 9 का संशोधन।

(क) खंड (i) में, स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "के द्वारा" पद से, "के साधनों द्वारा", "के परिणामस्वरूप" या "के कारण" अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वे सदैव से अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं ।

स्पष्टीकरण 5—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या सत्ता में की किसी आस्ति या पूंजी आस्ति, जो कोई शेयर या हित है, के बारे में यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि वह शेयर या हित अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान् रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न कर लेता है ।';

(ख) खंड (vi) में, स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1976 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अधिकार, संपत्ति या जानकारी की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के अंतरण के अंतर्गत उपयोग संबंधी सभी या किसी अधिकार या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के उपयोग के (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अधिकार का अंतरण, उस माध्यम को विचार में लिए बिना जिसके माध्यम से ऐसा अधिकार अंतरित किया जाता है, सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण 5—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वामिस्व के अंतर्गत किसी ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी की बाबत प्रतिफल सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित है, चाहे—

(क) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का कब्जे या नियंत्रण संदायकर्ता के पास है या नहीं ;

(ख) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का संदायकर्ता द्वारा प्रत्यक्षतया प्रयोग किया जाता है या नहीं ;

(ग) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का अवस्थान भारत में है या नहीं।

स्पष्टीकरण 6—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "प्रक्रिया" पद के अंतर्गत सेटेलाइट (जिसके अंतर्गत किसी सिगनल की डाउनलिंकिंग के लिए अप-लिंकिंग, प्रवर्धन, संपरिवर्तन भी है), केबल, आप्टिक फाइबर द्वारा या किसी अन्य वैसी ही प्रौद्योगिकी द्वारा, पारेषण सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित समझा जाएगा, चाहे ऐसी प्रक्रिया गोपनीय हो या नहीं ; '।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन।

(क) खंड (10घ) में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(i) उपखंड (ग) में,—

(I) "1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के पश्चात्, "किंतु 31 मार्च, 2012 को या उसके पूर्व" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) "किसी राशि से:" शब्दों के स्थान पर, "किसी राशि से ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ग) के पश्चात् और पहले परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी की गई किसी ऐसी बीमा पालिसी के अधीन, जिसकी बाबत पालिसी की अवधि के दौरान किन्हीं वर्षों के लिए संदेय प्रीमियम वास्तविक बीमा पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक है, प्राप्त कोई राशि :";

(iii) पहले परंतुक में, ''इस उपखंड'' शब्दों के स्थान पर, ''उपखंड (ग) और उपखंड (घ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) दूसरे परंतुक में, ''इस उपखंड'' शब्दों के स्थान पर, ''उपखंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(v) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—उपखंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, ''वास्तविक बीमा पूंजी राशि'' पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 80ग की उपधारा (3क) के स्पष्टीकरण में उसका है ; ';

(ख) खंड (23ग) में, सोलहवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था की आय को पूर्ववर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा, यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के उपबंध ऐसे न्यास या संस्था को उक्त पूर्ववर्ष में लागू हो जाते हैं, चाहे ऐसे न्यास या संस्था की बाबत किया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया हो या नहीं अथवा जारी की गई अधिसूचना विखंडित की गई हो या नहीं ;'';

(ग) खंड (23चख) में, स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

1992 का 15

'(ग) ''जोखिम पूंजी उपक्रम'' से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 में निर्दिष्ट कोई जोखिम पूंजी उपक्रम अभिप्रेत है ;';

(घ) खंड (47) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(48) भारत में किसी व्यक्ति को कच्चे तेल के विक्रय मद्दे किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय करेंसी में भारत में प्राप्त कोई आय :

परंतु—

(i) विदेशी कंपनी द्वारा भारत में ऐसी आय की प्राप्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी करार या ठहराव के अनुसरण में हुई है ;

(ii) राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, विदेशी कंपनी और करार या ठहराव केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए गए हैं ; और

(iii) विदेशी कंपनी भारत में ऐसी आय की प्राप्ति से भिन्न किसी क्रियाकलाप में नहीं लगी हुई है ।''।

धारा 13 का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

''(8) धारा 11 या धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार से प्रभाव नहीं होगा जिससे ऐसे व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में से ऐसी कोई आय, जो उसने प्राप्त की है, अपवर्जित हो जाए, यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के उपबंध उक्त पूर्ववर्ष में उस व्यक्ति के मामले में लागू हो जाते हैं ।''।

धारा 32 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) में, ''कारबार में'' शब्दों के पश्चात्, ''या विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के कारबार में'' शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (5) में, ''31 मार्च, 2012'' अंकों और शब्द के स्थान पर, ''31 मार्च, 2017'' अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 35कघ का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1क) जहां विनिर्दिष्ट कारबार उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (v) या उपखंड (vii) या उपखंड (viii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है और उसने 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् अपने प्रचालनों को प्रारंभ किया है, वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती उसमें निर्दिष्ट व्यय के डेढ़ गुना के बराबर रकम की अनुज्ञात की जाएगी ।'';

(ख) उपधारा (5) में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(अ) खंड (कङ) में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (कङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

1962 का 52 "(कच) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित किसी अंतर्देशीय आधान डिपो या आधान माल भाड़ा स्टेशन की स्थापना और प्रचालन की प्रकृति का है ;

(कछ) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार मधुमक्खी पालन और शहद तथा मधुमोम के उत्पादन की प्रकृति का है ;

(कज) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार चीनी के भंडारण के लिए किसी भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन की प्रकृति का है ; और";

(इ) खंड (ख) में, "खंड (क), खंड (कक), खंड (कख) और खंड (कग)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "उपरोक्त खंडों में से किसी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(6क) जहां निर्धारिती केंद्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो-सितारा या उससे ऊपर के प्रवर्ग के किसी होटल का निर्माण करता है और बाद में, होटल का स्वामी रहते हुए, उसका प्रचालन किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है, वहां निर्धारिती को उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार करने वाला समझा जाएगा।";

(घ) उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

1962 का 52 "(ix) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित किसी अंतर्देशीय आधान डिपो या आधान माल भाड़ा स्टेशन की स्थापना और प्रचालन ;

(x) मधुमक्खी पालन और शहद तथा मधुमोम का उत्पादन ;

(xi) चीनी के भंडारण के लिए किसी भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन ;"।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 35गगख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 35गगग और धारा 35गगघ का अंतःस्थापन।

"35गगग. (1) जहां कोई निर्धारिती बोर्ड द्वारा उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना संबंधी कोई व्यय उपगत करता है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । कृषि विस्तार परियोजना संबंधी व्यय।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उस व्यय की बाबत कटौती उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

35गगघ. (1) जहां कोई कंपनी, बोर्ड द्वारा, उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित किसी कौशल विकास परियोजना संबंधी कोई व्यय (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) उपगत करती है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उस व्यय की बाबत कटौती उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 40 में, खंड (क) के उपखंड (iक) में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 40 का संशोधन।

"परंतु यह और कि जहां निर्धारिती किसी ऐसी राशि पर अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है किंतु उसे धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, वहां इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, यह समझा जाएगा कि निर्धारिती ने उक्त परंतुक में निर्दिष्ट निवासी आदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को उस राशि पर कर की कटौती कर ली है और उसका संदाय कर दिया है ।"।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2013 से,— धारा 40क का संशोधन।

(i) खंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 92खक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की बाबत किसी ऐसे व्यय मद्दे, जो उचित बाजार

मूल्य को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक या अयुक्तियुक्त है, मोक को नामंजूर नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा संव्यवहार धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत पर है ।";

(ii) खंड (ख) के उपखंड (iv) में, "कोई नातेदार" शब्दों के पश्चात्, "अथवा कारबार या वृत्ति में लगी हुई ऐसी कोई अन्य कंपनी, जिसमें प्रथमवर्णित कंपनी का पर्याप्त हित है ;" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 44कख का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में,—

(i) खंड (क) में, "साठ लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक करोड़ रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "पन्द्रह लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, "निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 44कघ का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ में,—

(क) उपधारा (5) के पश्चात्, और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस धारा के उपबंध, पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) धारा 44कक की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट वृत्ति करने वाले किसी व्यक्ति ;

(ii) कमीशन या दलाली की प्रकृति की आय अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति ; या

(iii) किसी अभिकरण कारबार को करने वाले किसी व्यक्ति,

को लागू नहीं होंगे ।";

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "साठ लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक करोड़ रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (vii) के उपखंड (क) में, "समामेलित कंपनी में" शब्दों के स्थान पर, "समामेलित कंपनी में, उस दशा के सिवाय, जहां शेयर धारक स्वयं समामेलित कंपनी है," शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 49 का संशोधन।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) में, खंड (iii) के उपखंड (ङ) में, "धारा 47 के खंड (xiiiख)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 1999 से रखे गए समझे जाएंगे ।

नई धारा 50घ का अंतःस्थापन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

उचित बाजार मूल्य को कतिपय मामलों में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाना।

"50घ. जहां किसी निर्धारिती द्वारा किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाला प्रतिफल अभिनिश्चेय नहीं है या अवधारित नहीं किया जा सकता है, वहां पूंजी अभिलाभों के रूप में कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अंतरण की तारीख को उक्त आस्ति के उचित बाजार मूल्य को ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।"।

धारा 54ख का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 54ख की उपधारा (1) में, "निर्धारिती द्वारा उसके माता-पिता द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती द्वारा, जो व्यष्टि है, या उसके माता-पिता द्वारा या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा" शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 54छख का अंतःस्थापन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 54छक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आवासिक संपत्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना।

'54छख. (1) जहां,—

(i) पूंजी अभिलाभ पात्र निर्धारिती के (जिसे इसमें निर्धारिती कहा गया है) स्वामित्वाधीन किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो आवासिक संपत्ति (कोई गृह या भूखंड) है, अंतरण से उद्भूत होता है ; और

(ii) निर्धारिती ने, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने की नियत तारीख के पूर्व, शुद्ध प्रतिफल का किसी पात्र कंपनी के (जिसे इसमें कंपनी कहा गया है) साधारण शेयरों में अभिदाय के लिए उपयोग किया है ; और

(iii) कंपनी ने, निर्धारिती द्वारा साधारण शेयरों में अभिदाय की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस रकम का उपयोग नई आस्ति के क्रय के लिए किया है,

वहां पूंजी अभिलाभ को, उस पूर्ववर्ष की, जिसमें अंतरण किया जाता है, आय के रूप में आय-कर से प्रभारित किए जाने के बजाय इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार बरता जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि शुद्ध प्रतिफल की रकम नई आस्ति की लागत से अधिक है, तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग, जिसका संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो नई आस्ति के शुद्ध प्रतिफल से है, पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ; या

(ख) यदि शुद्ध प्रतिफल की रकम नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है, तो पूंजी अभिलाभ को पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

(2) शुद्ध प्रतिफल की रकम, जो कंपनी द्वारा निर्धारिती को शेयरों के पुरोधरण के लिए प्राप्त की गई है, उस सीमा तक जिस तक उसका धारा 139 के अधीन निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पूर्व नई आस्ति के क्रय के लिए कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा उक्त नियत तारीख के पूर्व ऐसे किसी बैंक या संस्था के, जो विनिर्दिष्ट की जाए, खाते में जमा की जाएगी और ऐसी किसी स्कीम के अनुसार उपयोग की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विरचित करे और निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी के साथ ऐसे जमा किए जाने का सबूत संलग्न किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, नई आस्ति के क्रय के संबंध में कंपनी द्वारा पहले से उपयोग की गई रकम, यदि कोई हो, और उपधारा (2) के अधीन जमा की गई रकम को एक साथ नई आस्ति की लागत के रूप में समझा जाएगा :

परंतु यदि इस प्रकार जमा की गई रकम का पूर्णतः या भागतः उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए नहीं किया जाता है तो—

(i) वह रकम, जिससे—

(क) आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम, जो उपधारा (1) में यथा उपबंधित नई आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है,

उस रकम से अधिक है,

(ख) जो इस प्रकार प्रभारित नहीं की गई होती, यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए वस्तुतः उपयोग की गई रकम नई आस्ति की लागत होती,

उस पूर्ववर्ष की, जिसमें निर्धारिती द्वारा साधारण शेयरों में अभिदाय की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है, निर्धारिती की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित की जाएगी ; और

(ii) कंपनी स्कीम के अनुसार उस रकम को वापस लेने की हकदार होगी ।

(4) यदि कंपनी के साधारण शेयरों या कंपनी द्वारा अर्जित की गई नई आस्ति को उनके अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया जाता है, तो आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम को, जो उपधारा (1) में उपबंधित रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या कंपनी के पास शेयरों या नई आस्ति के अंतरण मद्दे उद्भूत होने वाले अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त, निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसे साधारण शेयरों या ऐसी नई आस्ति को विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया जाता है, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(5) इस धारा के उपबंध 31 मार्च, 2017 के पश्चात् किए गए आवासिक संपत्ति के किसी अंतरण को लागू नहीं होंगे।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "पात्र निर्धारिती" से कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है ;

(ख) "पात्र कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(i) यह उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें पूंजी अभिलाभ उद्भूत होता है, सुसंगत पूर्ववर्ष की 1 अप्रैल से निर्धारिती द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक की अवधि के दौरान भारत में निगमित कंपनी है ;

(ii) यह किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण के कारबार में लगी हुई है ;

(iii) यह ऐसी कंपनी है, जिसमें निर्धारिती की पचास प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी या निर्धारिती द्वारा शेयरों में अभिदाय के पश्चात् पचास प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार है ; और

2006 का 27

(iv) यह ऐसी कोई कंपनी है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अधीन लघु या मध्यम उद्यम होने के लिए अर्हित है ;

(ग) "शुद्ध प्रतिफल" का वही अर्थ होगा, जो धारा 54च के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(घ) "नई आस्ति" से नया संयंत्र और मशीनरी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(i) ऐसी कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसका निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन से पूर्व, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो भारत के भीतर या बाहर उपयोग किया गया था ;

(ii) किसी कार्यालय परिसर या किसी आवासिक वास सुविधा में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की वास-सुविधा भी है, संस्थापित की गई कोई मशीनरी या संयंत्र ;

(iii) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कंप्यूटर या कंप्यूटर साफ्टवेयर भी हैं ;

(iv) कोई यान ; या

(v) ऐसी कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को किसी पूर्ववर्ष की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया जाता है ।'।

धारा 55क का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 55क के खंड (क) में, "दावा किया गया मूल्य, उसके उचित बाजार मूल्य से कम है;" शब्दों के स्थान पर, "दावा किए गए मूल्य और उसके उचित बाजार मूल्य में अंतर है;" शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे।

धारा 56 का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(अ) खंड (vii) में, स्पष्टीकरण के खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 अक्तूबर, 2009 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) "नातेदार" से,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में—

(अ) व्यष्टि की पत्नी या पति ;

(आ) व्यष्टि का भाई या बहन ;

(इ) व्यष्टि की पत्नी या पति का भाई या बहन ;

(ई) व्यष्टि के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन ;

(उ) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज ;

(ऊ) व्यष्टि की पत्नी या पति का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज ;

(ए) मद (आ) से (ऊ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की पत्नी या पति; और

(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, उसका कोई सदस्य,

अभिप्रेत है ;';

(आ) खंड (viiक) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viiख) जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, किसी पूर्ववर्ष में, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, वहां ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है :

परंतु यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां शेयरों के पुरोधरण के लिए प्रतिफल किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि से जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) शेयरों का उचित बाजार मूल्य, वह मूल्य होगा—

(i) जैसा उस पद्धति के अनुसार, जो विहित की जाए, अवधारित किया जाए ; या

(ii) जैसा कंपनी द्वारा शेयरों के पुरोधरण की तारीख को अपनी आस्तियों के, जिनके अंतर्गत अमूर्त आस्तियां भी हैं, जो गुडविल, व्यवहार्य ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, फ्रेंचाइज या समान प्रकृति के कोई अन्य कारबार संबंधी या वाणिज्यिक अधिकार हैं, मूल्य के आधार पर, निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में सिद्ध किया जाए,

इनमें से जो भी उच्चतर हो ;

(ख) "जोखिम पूंजी कंपनी", "जोखिम पूंजी निधि" और "जोखिम पूंजी उपक्रम" के वही अर्थ होंगे जो धारा 10 के खंड (23चख) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में क्रमशः उनके हैं ;'।

धारा 68 का संशोधन।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 68 में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌:—

"परंतु जहां निर्धारिती कोई कंपनी है (जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है) और इस प्रकार जमा की गई राशि में शेयर आवेदन धन, शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम या कोई ऐसी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है, वहां ऐसी निर्धारिती-कंपनी द्वारा दिया गया कोई स्पष्टीकरण तब तक समाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक,—

(क) वह व्यक्ति भी, जो ऐसा निवासी है जिसके नाम में ऐसी जमाराशि ऐसी कंपनी की बहियों में अभिलिखित की जाती है, इस प्रकार जमा कराई गई ऐसी राशि की प्रकृति और स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे देता है ; और

(ख) ऐसा स्पष्टीकरण पूर्वोक्त निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं पाया गया है :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति, जिसके नाम में उसमें निर्दिष्ट राशि अभिलिखित की जाती है, धारा 10 के खंड (23चख) में यथानिर्दिष्ट कोई जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी है ।"।

धारा 80क का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80क की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :—

"(iii) विक्रीत, प्रदत्त या अर्जित किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित ऐसे माल या सेवाओं की असन्निकट कीमत अभिप्रेत है, यदि वह धारा 92खक में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है ।"।

धारा 80ग का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(i) उपधारा (3) में, "किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए किसी संविदा से भिन्न बीमा पालिसी" शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2012 को या उससे पूर्व जारी किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए किसी संविदा से भिन्न बीमा पालिसी" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात्‌, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :—

'(3क) उपधारा (2) के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्‌ जारी किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए संविदा से भिन्न बीमा पालिसी के लिए दिए गए किसी प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय के प्रति केवल उतने के संबंध में लागू होंगे, जो वास्तविक बीमा पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण —इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी जीवन बीमा पालिसी के संबंध में "वास्तविक बीमा पूंजी राशि" से पालिसी की अवधि के दौरान,—

(i) वापस करने के लिए करार पाए गए किन्हीं प्रीमियमों के मूल्य को ; या

(ii) वास्तविक बीमा राशि से अधिक के बोनस के रूप में या अन्यथा किसी फायदे को, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या प्राप्त किया जाए,

हिसाब में न लेते हुए, किसी समय बीमाकृत घटना के घटित होने पर पालिसी के अधीन न्यूनतम बीमा रकम अभिप्रेत होगी।'।

धारा 80घ का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(क) उपधारा (1) में, "नकद से भिन्न" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (2ख) में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(अ) खंड (क) में, "कोई अभिदाय" शब्दों के पश्चात्‌, "या निर्धारिती या उसके कुटुंब की निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे किया गया कोई संदाय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) खंड (ख) में, "संदत्त संपूर्ण रकम" शब्दों के पश्चात्‌, "या निर्धारिती के माता-पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे किया गया कोई संदाय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :—

"(2क) जहां उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट रकमों को निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे संदत्त किया जाता है, वहां ऐसी रकमों के लिए कटौती उस सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी, जहां तक वह कुल मिलाकर पांच हजार रुपए से अधिक न हो ।

(2ख) उपधारा (1) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए संदाय,—

(i) निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे संदत्त किसी राशि की बाबत किसी भी ढंग, जिसमें नकद भी है, से किया जाएगा;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों में, नकद से भिन्न किसी भी ढंग से किया जाएगा।';

(घ) उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में, "पैंसठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "साठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 80घघख का संशोधन।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में, "पैंसठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "साठ वर्ष" शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 80छ का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5घ) इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक किसी राशि के दान की बाबत कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी, जब ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से किया जाता है ।"।

धारा 80छछक का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक किसी राशि की बाबत कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी, जब ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से किया जाता है ।"।

धारा 80झक का संशोधन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(क) उपधारा (4) के खंड (iv) में, "31 मार्च, 2012" अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः "31 मार्च, 2013" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (8) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी माल या किन्हीं सेवाओं के संबंध में, "बाजार मूल्य" से, अभिप्रेत है,—

(i) ऐसी कीमत, जो ऐसे माल या सेवाओं के लिए खुले बाजार में साधारणतया प्राप्त होगी ; या

(ii) धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत, जहां ऐसे माल या सेवाओं का अंतरण धारा 92खक में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है ।';

(ग) उपधारा (10) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि पूर्वोक्त ठहराव में धारा 92खक में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अंतर्वलित है, तो ऐसे संव्यवहार से लाभों की रकम का अवधारण धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।"।

नए भाग का अंतःस्थापन ।

30. आय-कर अधिनियम के अध्याय 6क में, भाग ग के पश्चात्, निम्नलिखित भाग 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'गक—अन्य आय की बाबत कटौतियां

बचत खाते में निक्षेपों पर ब्याज की बाबत कटौती।

80ननक. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, सकल कुल आय में,—

(क) ऐसी किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ; 1949 का 10

(ख) बैंककारी का कारबार करने में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसके अंतर्गत कोई सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) ; या

(ग) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित किसी डाकघर में, 1898 का 6

बचत खाते में निक्षेपों पर (जो सावधिक निक्षेप नहीं हैं) ब्याज के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इसमें इसके नीचे विनिर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात् :—

(i) ऐसे मामले में, जहां ऐसी आय की रकम कुल मिलाकर दस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है, संपूर्ण ऐसी रकम; और

(ii) किसी अन्य मामले में, दस हजार रुपए ।

(2) जहां इस धारा में निर्दिष्ट आय किसी फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय द्वारा या उसकी ओर से धारित किसी बचत खाते में किसी निक्षेप से व्युत्पन्न होती है, वहां इस धारा के अधीन फर्म के किसी भागीदार या संगम के किसी

सदस्य या निकाय के किसी व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सावधिक निक्षेप" से नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिसंदेय निक्षेप अभिप्रेत है ।'।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 90 में,— धारा 90 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को लागू होंगे, भले ही ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद न हों ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) ऐसा कोई निर्धारिती, जो निवासी नहीं है जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार लागू होता है, ऐसे करार के अधीन तब तक किसी राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा उसके, यथास्थिति, भारत के बाहर किसी देश या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के निवासी होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।";

(ग) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में किसी पद को प्रयुक्त किया गया है और उक्त करार या अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिसका उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अर्थ दिया गया है और तदधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त है, वहां उस पद के अर्थ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से प्रभावी है जिसको उक्त करार प्रवृत्त हुआ था ।"।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 90क में,— धारा 90क का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को लागू होंगे, भले ही ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद न हों ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) ऐसा कोई निर्धारिती, जो निवासी नहीं है, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार लागू होता है, ऐसे करार के अधीन तब तक किसी राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसके द्वारा उसके, भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के निवासी होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं, उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।";

(ग) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में किसी पद को प्रयुक्त किया गया है और उक्त करार या अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिसका उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अर्थ दिया गया है और तदधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त है, वहां उस पद के अर्थ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से प्रभावी है जिसको उक्त करार प्रवृत्त हुआ था ।"।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 92 में, 1 अप्रैल, 2013 से,— धारा 92 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" शब्दों के स्थान पर, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में व्यय या ब्याज या किसी लागत या खर्च या किसी आय के आबंटन के लिए किसी मोक की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ।";

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" शब्दों के स्थान पर, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) "उस उपधारा" शब्दों के स्थान पर "उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iv) "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 92ख का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 92ख की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" पद के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे,—

(क) मूर्त संपत्ति का, जिसके अंतर्गत भवन, परिवहन यान, मशीनरी, उपस्कर, औजार, संयंत्र, फर्नीचर, वस्तु या कोई अन्य सामान, उत्पाद या चीज भी है, क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टे पर देना या उपयोग ;

(ख) अमूर्त संपत्ति का, जिसके अंतर्गत भूमि उपयोग, प्रतिलिप्यधिकार, पेटेंट, व्यापार-चिह्न, अनुज्ञप्तियां, फ्रेंचाइज, ग्राहक सूची, विपणन चेनल, ब्रांड, वाणिज्यिक गुप्त बात, व्यवहार्य ज्ञान, औद्योगिक संपत्ति अधिकार, बाह्य डिजाइन या व्यवहार्य तथा नए डिजाइन से संबंधित अधिकारों या समान प्रकृति के कोई अन्य कारबार संबंधी या वाणिज्यिक अधिकारों के उपयोग के स्वामित्व का उपबंध का अंतरण भी है, क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टे पर देना या उपयोग ;

(ग) पूंजीगत वित्तपोषण, जिसके अंतर्गत किसी प्रकार का दीर्घकालिक या अल्पकालिक उधार लेना, ब्याज पर उधार देना या प्रत्याभूति, विपणनयोग्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय या कारबार के दौरान उद्भूत किसी प्रकार का अग्रिम, संदाय या आस्थगित संदाय या प्राप्य राशियां या कोई अन्य ऋण भी है ;

(घ) सेवाओं का उपबंध, जिसके अंतर्गत बाजार अनुसंधान, बाजार विकास, विपणन प्रबंधन, प्रशासन, तकनीकी सेवा, मरम्मत, डिजाइन, परामर्श, अभिकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान, विधिक और लेखांकन संबंधी सेवा भी है ;

(ङ) किसी उद्यम द्वारा किसी सहयोजित उद्यम के साथ, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि इसका संव्यवहार के समय या किसी भावी तारीख को ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानियों या आस्तियों पर प्रभाव है, पुनर्संरचना या पुनर्गठन कारबार का संव्यवहार है ;

(ii) "अमूर्त संपत्ति" पद के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे,—

(क) विपणन संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे व्यापार-चिह्न, व्यापार नाम, ब्रांड नाम, लोगो ;

(ख) प्रौद्योगिकी संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे प्रक्रिया पेटेंट, पेटेंट आवेदन, तकनीकी दस्तावेजीकरण, जैसे प्रयोगशाला नोट बुक, तकनीकी व्यवहार्य-ज्ञान;

(ग) कला संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे साहित्यिक कृतियां और प्रतिलिप्यधिकार, संगीतात्मक रचनाएं, प्रतिलिप्यधिकार, नक्शे, उत्कीर्णन ;

(घ) डाटा प्रसंस्करण संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे सांपत्तिक कम्प्यूटर साफ्टवेयर, साफ्टवेयर प्रतिलिप्यधिकार, स्वचालित डाटाबेस और एकीकृत सर्किट मास्क्स और मास्टर्स ;

(ङ) इंजीनियरी संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे औद्योगिक डिजाइन, उत्पाद पेटेंट, व्यापार संबंधी गुप्त बातें, इंजीनियरी ड्राइंग और उसके सदृश, रूपरेखा, सांपत्तिक दस्तावेजीकरण ;

(च) ग्राहक संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे ग्राहक सूची, ग्राहक संविदाएं, ग्राहक संबंध, खुले क्रयादेश ;

(छ) संविदा संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे अनुकूल प्रदायकर्ता, संविदाएं, अनुज्ञप्ति करार, फ्रेंचाइज करार, गैर-प्रतियोगी करार ;

(ज) मानव पूंजी संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे प्रशिक्षित और संगठित कार्यदल, नियोजन करार, संघीय संविदाएं;

(झ) अवस्थिति संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे पट्टाधृत हित, खनिज विदोहन अधिकार, सुखाचार, वायु संबंधी अधिकार, जल संबंधी अधिकार ;

(ञ) गुडविल संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे संस्थागत गुडविल, वृत्तिक व्यवसाय गुडविल, वृत्तिक की व्यक्तिगत गुडविल, प्रसिद्ध व्यक्ति की गुडविल, साधारण कारबार वाले समुत्थान का मूल्य ;

(ट) पद्धतियां, कार्यक्रम, प्रणालियां, प्रक्रियाएं, अभियान, सर्वेक्षण, अध्ययन, पूर्वानुमान, प्राक्कलन, ग्राहक सूची या तकनीकी डाटा ;

(ठ) कोई अन्य वैसी ही मद, जो अपने भौतिक गुणों की अपेक्षा अपनी बौद्धिक अंतर्वस्तु से अपना मूल्य उपगत करती है ।'।

नई धारा 92खक का अंतःस्थापन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 92ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार का अर्थ।

'92खक. इस धारा और धारा 92, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्धारिती की दशा में, "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" से, निम्नलिखित ऐसे संव्यवहारों में से कोई संव्यवहार, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार न हो, अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—

(i) ऐसा कोई व्यय, जिसकी बाबत धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संदाय किया गया है या किया जाना है ;

(ii) धारा 80क में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार ;

(iii) धारा 80झक की उपधारा (8) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं का कोई अंतरण ;

(iv) धारा 80झक की उपधारा (10) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती और अन्य व्यक्ति के बीच किया गया कोई कारबार;

(v) अध्याय 6क के अधीन किसी अन्य धारा या धारा 10कक में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार, जिसे धारा 80झक की उपधारा (8) या उपधारा (10) के उपबंध लागू होते हैं ; या

(vi) कोई अन्य संव्यवहार, जो विहित किया जाए,

और जहां निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किए गए ऐसे संव्यवहारों की कुल राशि पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है।'।

धारा 92ग का संशोधन।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) दूसरे परंतुक में, "बाद वाली कीमत के ऐसे प्रतिशत से, जो अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "बाद वाली कीमत के तीन प्रतिशत से अनधिक ऐसे प्रतिशत से, जो अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है" शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि दूसरे परंतुक के उपबंध 1 अक्तूबर, 2009 को निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित सभी निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियों को भी लागू होंगे ।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

2009 का 33

"(2क) जहां उपधारा (2) का पहला परंतुक, जैसे वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 द्वारा उसका संशोधन किए जाने से पूर्व विद्यमान था, किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत लागू होता है और उक्त परन्तुक में निर्दिष्ट अंकगणितीय औसत और उस कीमत के बीच, जिस पर ऐसा संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, का अंतर अंकगणितीय औसत के पांच प्रतिशत से अधिक होता है, तो निर्धारिती उक्त परंतुक में यथानिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।";

(ग) इस प्रकार यथा अंतःस्थापित उपधारा (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2ख) उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट कोई बात, निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने अथवा निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा धारा 154 के अधीन ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में कार्यवाहियां 1 अक्तूबर, 2009 के पूर्व पूरी हो गई हैं, निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने संबंधी आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं बनाएगी ।"।

अध्याय 10 का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 की धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ में, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 92गक का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में,—

(क) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(2ख) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत, निर्धारिती ने धारा 92ङ के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और ऐसा संव्यवहार अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष की कार्यवाही के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किया गया अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है ।"; 2009 का 33

(ग) इस प्रकार यथा अंतःस्थापित उपधारा (2ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2ग) उपधारा (2ख) में अंतर्विष्ट कोई बात, निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने अथवा निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा धारा 154 के अधीन ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में कार्यवाहियां 1 जुलाई, 2012 के पूर्व पूरी हो चुकी हों, निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने संबंधी आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं बनाएगी ।"।

नई धारा 92गग और धारा 92गघ का अंतःस्थापन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 92गख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अग्रिम मूल्यांकन करार।

'92गग. (1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में, असन्निकट कीमत को अवधारित करते हुए या उस रीति को, जिसमें असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाना होगा, विनिर्दिष्ट करते हुए अग्रिम मूल्यांकन करार उस व्यक्ति के साथ कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट असन्निकट कीमत के अवधारण की रीति के अंतर्गत धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां, ऐसे समायोजनों या परिवर्तनों सहित, जो इस प्रकार करने आवश्यक या समीचीन हों या कोई अन्य पद्धति हो सकेगी ।

(3) धारा 92ग या धारा 92गक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की, जिसकी बाबत अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, असन्निकट कीमत, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) इस प्रकार किया गया अग्रिम मूल्यांकन करार—

(क) उस व्यक्ति पर, जिसके मामले में और जिसके संबंध में ऐसे संव्यवहार की बाबत, करार किया गया है ; और

(ख) उक्त व्यक्ति और उक्त संव्यवहार की बाबत, आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों पर,

आबद्धकर होगा।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार उस दशा में आबद्धकर नहीं होगा यदि इस प्रकार किए गए करार से संबंधित विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन हो जाता है ।

(7) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, किसी करार को आरंभ से शून्य घोषित कर सकेगा, यदि उसे यह पता चलता है कि करार उस व्यक्ति द्वारा कपट से या तथ्यों का दुर्व्यपदेशन करके अभिप्राप्त किया गया है।

(8) करार को आरंभ से शून्य घोषित करने पर,—

(क) अधिनियम के सभी उपबंध उस व्यक्ति को इस प्रकार लागू होंगे मानो करार कभी किया ही नहीं गया था; और

(ख) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी परिसीमा काल की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस करार की तारीख से आरंभ होने वाली और उपधारा (7) के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात्, इस अधिनियम के किसी उपबंध में निर्दिष्ट परिसीमा काल साठ दिन से कम का है तो ऐसी शेष अवधि को बढ़ाकर साठ दिन तक किया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा काल तदनुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा ।

(9) बोर्ड, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक स्कीम, उसमें सामान्यतः अग्रिम मूल्यांकन करार की बाबत रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट करते हुए, विहित कर सकेगा ।

(10) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन किया जाता है, वहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यवाहियां उस व्यक्ति की दशा में लंबित समझी जाएंगी ।

अग्रिम मूल्यांकन करार को प्रभावी रूप देना।

92गघ. (1) धारा 139 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति ने कोई करार किया है और करार करने की तारीख के पूर्व, पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसको ऐसा करार लागू होता है, धारा 139 के उपबंधों के अधीन आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, वहां ऐसा व्यक्ति उस मास के, जिसमें उक्त करार किया गया था, अंत से तीन मास की अवधि के भीतर करार के अनुसार और उस तक सीमित एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध तदनुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो उपांतरित विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी है ।

(3) यदि किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, जिसे करार लागू होता है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरी हो गई हैं, तो निर्धारण अधिकारी, ऐसे किसी मामले में जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी फाइल की जाती है, करार को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसार सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण या उसकी पुनःसंगणना करने की कार्यवाही करेगा ।

(4) जहां उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, जिसको करार लागू होता है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी फाइल करने की तारीख को लंबित हैं, वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार प्रस्तुत की गई उपांतरित विवरणी पर विचार करते हुए करार के अनुसार निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करने की कार्यवाही करेगा ।

(5) धारा 153 या धारा 153ख या धारा 144ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उपधारा (3) के अधीन कुल आय के निर्धारण, पुनःनिर्धारण या उसकी पुनःसंगणना का आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत की जाती है, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की लंबित कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए धारा 153 या धारा 153ख या धारा 144ग में यथाउपबंधित परिसीमा काल को बारह मास की अवधि तक विस्तारित किया जाएगा ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "करार" से धारा 92गग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार अभिप्रेत है ;

(ii) किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां उस दशा में पूरी हो गई समझी जाएंगी, जहां—

(क) निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश पारित किया गया है ; या

(ख) उक्त धारा के अधीन उपबंधित परिसीमा काल की समाप्ति तक धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की गई है ।'।

नए अध्याय 10क का अंतःस्थापन ।

40. आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 10क

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम का लागू होना ।

95. अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किया जा सकेगा और उससे उद्भूत होने वाले कर संबंधी परिणाम का अवधारण इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय के उपबंध ठहराव या उसके किसी भाग को करने के किसी भी उपाय को उसी प्रकार लागू किए जा सकेंगे, जैसे वे ठहराव के संबंध में लागू होते हैं।

अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव ।

96. (1) किसी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव से ऐसा ठहराव अभिप्रेत है, जिसका मुख्य प्रयोजन या मुख्य प्रयोजनों में एक प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का है और,—

(क) इससे ऐसे अधिकारों या बाध्यताओं का सृजन होता है, जो सामान्यतया असन्निकट संबद्ध व्यक्तियों के बीच सृजित नहीं होती हैं ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के उपबंधों का, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, गलत उपयोग या दुरुपयोग होता है ;

(ग) इसमें धारा 97 के अधीन, संपूर्णतः या भागतः, वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है या उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है ; या

(घ) वह ऐसे साधनों द्वारा या ऐसी रीति में किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है, जो सामान्यतया सद्भावी प्रयोजनों के लिए अपनाई नहीं जाती है ।

(2) ऐसे ठहराव के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप कोई कर फायदा (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) होता है, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह कर फायदा अभिप्राप्त करने के मुख्य प्रयोजन के लिए किया गया है या कार्यान्वित किया गया है, जब तक कर फायदा अभिप्राप्त करने वाला व्यक्ति यह साबित नहीं कर देता है कि उस ठहराव का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का नहीं था ।

(3) ऐसे ठहराव के बारे में इस तथ्य के होते हुए भी कि संपूर्ण ठहराव का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का नहीं है, यह उपधारणा की जाएगी कि वह कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने के मुख्य प्रयोजन के लिए किया गया है या कार्यान्वित किया गया है, यदि ठहराव या उसके किसी भाग को करने का किसी भी उपाय का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का नहीं है ।

ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व का न होना।

97. (1) किसी ठहराव के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है, यदि—

(क) ठहराव का संपूर्ण सारतत्व या प्रभाव उसके पृथक्-पृथक् उपायों या उनके किसी भाग से असंगत है या उससे महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है ; या

(ख) उसमें निम्नलिखित सम्मिलित या उसके अंतर्गत हैं—

(i) राउंड ट्रिप वित्तपोषण ;

(ii) कोई अनुकूलक पक्षकार ;

(iii) ऐसे तत्व, जिनका प्रभाव एक-दूसरे को मुजराई करने या रद्द करने का है ; या

(iv) ऐसा संव्यवहार, जो एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और ऐसी निधियों के, जो ऐसे संव्यवहार की विषय-वस्तु है, मूल्य, अवस्थान, स्रोत, स्वामित्व या नियंत्रण के बारे में भ्रम होता है ; या

(ग) उसमें ऐसी किसी आस्ति या किसी संव्यवहार का अवस्थान या किसी पक्षकार का निवास-स्थान अंतर्वलित है, जो किसी पक्षकार के लिए कर फायदा अभिप्राप्त करने से (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) भिन्न किसी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस प्रकार अवस्थित नहीं किया गया होता ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, राउंड ट्रिप वित्तपोषण के अंतर्गत ऐसा कोई ठहराव भी है, जिसमें,—

(अ) इस बात पर कि क्या राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियों का ठहराव के संबंध में किसी पक्षकार को अंतरित या उसके द्वारा प्राप्त किन्हीं निधियों से पता लगाया जा सकता है या नहीं ;

(आ) उस समय या क्रम पर, जिसमें राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं; या

(इ) उस साधन, जिसके द्वारा या रीति पर, जिसमें या ढंग पर, जिसके माध्यम से राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं,

कोई ध्यान दिए बिना, संव्यवहारों की श्रृंखला द्वारा—

(क) निधियां, ठहराव के पक्षकारों के बीच अंतरित की जाती हैं ; और

(ख) ऐसे संव्यवहारों का कर फायदा अभिप्राप्त करने से भिन्न (इस अध्याय के उपबंधों के लागू न होने पर भी) कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, ठहराव का कोई पक्षकार अनुकूलक पक्षकार होगा, यदि संपूर्ण ठहराव या उसके भाग में उस पक्षकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागिता का मुख्य प्रयोजन निर्धारिती के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर फायदा (इस अध्याय के उपबंधों के लागू न होने पर भी) अभिप्राप्त करने का है, चाहे पक्षकार ठहराव के किसी पक्षकार के संबंध में कोई संबंधित व्यक्ति है या नहीं ।

(4) यह अवधारित करते समय कि क्या किसी ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व है या नहीं, निम्नलिखित को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :—

(i) वह अवधि या समय, जिसके लिए ठहराव (जिसके अंतर्गत उसमें प्रचालन भी है) विद्यमान रहता है ;

(ii) ठहराव के अधीन, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से करों के संदाय का तथ्य ;

(iii) यह तथ्य कि ठहराव द्वारा कोई निर्गम माध्यम (जिसके अंतर्गत किसी क्रियाकलाप या कारबार या प्रचालनों का अंतरण भी है) उपलब्ध कराया जाता है ।

अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव का परिणाम ।

98. (1) यदि किसी ठहराव को कोई अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किया जाता है तो ठहराव के कर संबंधी परिणामों का, जिनके अंतर्गत किसी कर संधि के अधीन कर फायदे या किसी फायदे से इंकार किया जाना भी है, ऐसी रीति में, जैसी मामले की उन परिस्थितियों में उपयुक्त समझी जाती है, तथा निम्नलिखित के रूप में किन्तु जो उन तक सीमित न हो, अवधारण किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) भागतः या सपूर्णतः अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव में किसी उपाय पर ध्यान न देना, उन्हें संयोजित या पुनःविशेषित करना ;

(ख) अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव को इस प्रकार मानना, मानो उसे किया अथवा क्रियान्वित ही नहीं किया गया था ;

(ग) किसी अनुकूलक पक्षकार पर ध्यान न देना या किसी अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही पक्षकार के रूप में मानना ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, किसी रकम के कर निरूपण की अवधारणा करने के प्रयोजनों के लिए एक ही व्यक्ति मानना ;

(ङ) ठहराव के पक्षकारों के बीच—

(i) किसी पूंजीगत या राजस्व की प्रकृति के किसी प्रोद्‌भवन या प्राप्ति ; या

(ii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट,

का पुनःविनिधान करना ;

(च) (i) ठहराव के किसी पक्षकार के निवास-स्थान को ; या

(ii) किसी आस्ति या संव्यवहार की अवस्थिति को,

ठहराव के अधीन यथाउपबंधित निवास-स्थान, किसी आस्ति के अवस्थान या संव्यवहार के अवस्थान से भिन्न स्थान मानना ; या

(छ) किसी निगमित ढांचे की अनदेखी करके किसी ठहराव पर विचार करना या उस पर ध्यान देना ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी इक्विटी को ऋण या उसके विपर्येन माना जा सकेगा ;

(ii) पूंजीगत प्रकृति के किसी प्रोद्‌भवन या प्राप्ति को राजस्व की प्रकृति का या उसके विपर्येन माना जा सकेगा; या

(iii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट को पुनःविशेषित किया जा सकेगा ।

संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार के संबंध में व्यवहार।

99. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, यह अवधारित करने में कि क्या कोई कर फायदा विद्यमान है,—

(i) ऐसे पक्षकारों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध पक्षकार हैं, एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा ;

(ii) किसी अनुकूलक पक्षकार की अनदेखी की जा सकेगी ;

(iii) ऐसे अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा ;

(iv) ठहराव पर किसी निगमित ढांचे की अनदेखी करके विचार किया जा सकेगा या उस पर ध्यान दिया जा सकेगा।

अध्याय का लागू होना ।

100. इस अध्याय के उपबंध कर दायित्व के अवधारण के संबंध में किसी अन्य आधार के अतिरिक्त या उसके स्थान पर लागू किए जाएंगे ।

मार्गदर्शक सिद्धांतों का विरचित किया जाना ।

101. इस अध्याय के उपबंधों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लागू किया जाएगा ।

परिभाषाएं ।

102. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "ठहराव" से किसी संपूर्ण संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते या उसके किसी भाग के संबंध

में कोई उपाय अभिप्रेत है, चाहे वह प्रवर्तनीय हो या नहीं और इसके अंतर्गत ऐसे संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते में किसी संपत्ति का अन्यसंक्रामण भी है ;

(2) "आस्ति" के अंतर्गत किसी प्रकार की संपत्ति या अधिकार है ;

(3) किसी व्यक्ति के संबंध में "सहयोजित व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) व्यक्ति का कोई नातेदार, यदि व्यक्ति कोई व्यष्टि है ;

(ख) यदि व्यक्ति कोई कंपनी है तो कंपनी का कोई निदेशक या ऐसे निदेशक का कोई नातेदार ;

(ग) यदि व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय है तो ऐसी फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का कोई भागीदार या सदस्य या ऐसे भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(घ) यदि व्यक्ति कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है तो हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे सदस्य का कोई नातेदार ;

(ङ) ऐसा कोई व्यष्टि, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे व्यष्टि का कोई नातेदार;

(च) कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कुटुंब का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(छ) ऐसी कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसके निदेशक, भागीदार या सदस्य का व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कुटुंब या कोई नातेदार ;

(ज) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो कोई कारबार करता है, यदि,—

(i) उस व्यक्ति का, जो व्यष्टि है या ऐसे व्यक्ति के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ; या

(ii) उस व्यक्ति का, जो कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है या ऐसी कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कुटुंब के किसी निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ;

(4) "फायदे" के अंतर्गत किसी प्रकार का, चाहे मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में, कोई संदाय भी है ;

(5) "संबद्ध व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और इसके अंतर्गत सहयोजित व्यक्ति भी है ;

(6) "निधि" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) कोई नकद ;

(ख) नकद के समतुल्य ; और

(ग) नकद या नकद के समतुल्य प्राप्त करने या उसका संदाय करने का कोई अधिकार या बाध्यता ;

(7) "पक्षकार" से कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत ऐसा स्थायी स्थापन भी है, अभिप्रेत है, जो किसी ठहराव में हिस्सा या भाग लेता है ;

(8) "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(9) किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका "कारबार में सारवान् हित" है, यदि—

(क) ऐसे किसी मामले में, जहां कारबार किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, बीस प्रतिशत या अधिक मतदान शक्ति वाले साधारण शेयरों का फायदाग्राही स्वामी है ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, ऐसे कारबार के लाभों के बीस प्रतिशत या अधिक का फायदाप्रद रूप से हकदार है ;

(10) "उपाय" के अंतर्गत कोई उपाय या कोई कार्रवाई, विशिष्टतया ठहराव में कोई विशिष्ट चीज या वस्तु का व्यवहार करने या उसे प्राप्त करने की पुष्टि से की गई कोई श्रृंखला कार्रवाई भी है ;

(11) "कर फायदे" से सुसंगत पूर्ववर्ष या किसी अन्य पूर्ववर्ष में—

(क) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या अन्य रकम में कमी या उसका परिवर्जन या आस्थगन ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई वृद्धि ; या

(ग) कर या अन्य रकम में कमी या परिवर्जन या आस्थगन, जो किसी कर संधि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन संदेय होती ; या

(घ) कर संधि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई वृद्धि ; या

(ङ) कुल आय में कमी, जिसके अंतर्गत हानि में वृद्धि भी है,

अभिप्रेत है;

(12) ''कर संधि'' से धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है;' ।

धारा 111क का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (1) के परंतुक में, ''दस प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''पन्द्रह प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2009 से रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 115क का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(क) उपखंड (ii) में ''खंड (iiक)'' शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''उपखंड (iiक) या उपखंड (iiकक)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (iiक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(iiकक) धारा 194ठग में निर्दिष्ट प्रकृति का और सीमा तक ब्याज ; या'';

(ग) मद (आअ) में, ''उपखंड (iiक)'' शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, ''या उपखंड (iiकक)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) मद (ई) में, ''उपखंड (iiक)'' शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, '', उपखंड (iiकक)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 115खखक का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखक में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में, अंत में, ''; या'' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, और ''वहां निर्धारिती द्वारा संदेय आय-कर'' शब्दों से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ग) जो ऐसा मनोरंजनकर्ता है, जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, भारत में उस रूप में किए गए उसके व्यक्तिगत क्रियाकलापों से प्राप्त या प्राप्य कोई आय सम्मिलित है,'';

(iii) ''खंड (क) या खंड (ख)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः ''खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) ''वहां निर्धारिती द्वारा संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात्:—'' शब्दों के पश्चात्, खंड (i) में ''दस प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''बीस प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, ''खंड (क) या खंड (ख)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 115खखघ का संशोधन।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ की उपधारा (1) में, ''1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले'' अंकों और शब्दों के पश्चात्, ''या 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले'' अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 115खखङ का अंतःस्थापन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर ।

''115खखङ. (1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर,—

(क) धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर तीस प्रतिशत की दर पर परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ख) आय-कर की ऐसी रकम, जिसके लिए निर्धारिती उस दशा में प्रभार्य होता, यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाती,

का योग होगा ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यय या मोक की बाबत निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।''।

धारा 115जख का संशोधन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(i) ''प्रत्येक निर्धारिती'' शब्दों से आरंभ होने वाले और ''लेखा तैयार करेगा :'' शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''प्रत्येक निर्धारिती,—

(क) जो खंड (ख) में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न कोई कंपनी है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अपना लाभ-हानि लेखा तैयार करेगा ; या

1956 का 1

(ख) जो ऐसी कंपनी है, जिसको कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (2) का परंतुक लागू होता है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी कंपनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अपना लाभ-हानि लेखा तैयार करेगा ;'';

1956 का 1

(ii) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (झ) के पश्चात् ''यदि खंड (क) से खंड (झ) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है और उसमें से निम्नलिखित घटा दिए गए हैं,—'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ञ) ऐसी आस्ति के पूर्व भुगतान या व्ययन पर पुनर्मूल्यांकित आस्ति के संबंध में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा रकम,

यदि खंड (क) से खंड (झ) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है या यदि खंड (ञ) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखे में जमा नहीं की जाती है और उनमें से निम्नलिखित घटा दिए गए,—''।

अध्याय 12खक का संशोधन।

47. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक के शीर्ष में, ''कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों'' शब्दों के स्थान पर, ''कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों'' शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 115जग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध।

'115जग. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, उस पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उस व्यक्ति की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समायोजित कुल आय, इस अध्याय को प्रभावी रूप देने के पूर्व,—

(i) ''ग.—कतिपय आय की बाबत कटौतियां'' शीर्ष के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन (धारा 80त से भिन्न) दावा की गई कटौतियों से, यदि कोई हों ; और

(ii) धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौतियों से, यदि कोई हों,

बढ़ाकर आई कुल आय होगी ।

(3) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, किसी लेखाकार से, यह प्रमाणित करते हुए कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।'।

धारा 115जघ का संशोधन।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 115जघ की उपधारा (1) में, ''किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति द्वारा'' शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 115जङ का संशोधन।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115जङ में, ''किसी सीमित दायित्व भागीदारी'' शब्दों के स्थान पर ''किसी व्यक्ति'', शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 115जङङ का अंतःस्थापन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115जङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

इस अध्याय का कतिपय व्यक्तियों को लागू होना ।

''115जङङ.(1) इस अध्याय के उपबंध, ऐसे किसी व्यक्ति को लागू होंगे, जिसने—

(क) ''ग.—कतिपय आय की बाबत कटौतियां'' शीर्ष के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन (धारा 80त के अधीन के सिवाय); या

(ख) धारा 10कक के अधीन,

किसी कटौती का दावा किया है ।

(2) इस अध्याय के उपबंध किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय को, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति को उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसे व्यक्ति की समायोजित कुल आय बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ।''।

धारा 115ञच का संशोधन।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञच में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(i) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, ''किसी सीमित दायित्व भागीदारी'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115ण का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1क) के खंड (i) में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) उपखंड (क) के अंत में ''और'' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (ख) में, ''इस धारा के अधीन कर का संदाय किया है ; और'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे कर का, जो इस धारा के अधीन संदेय है, संदाय किया है :'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपखंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

धारा 115प का संशोधन।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 115प में,—

(i) 1 अप्रैल, 2013 से,—

(क) उपधारा (1) में, ''द्वारा प्राप्त कोई आय उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऐसी आय होती,'' शब्दों के स्थान पर, ''को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त ऐसी आय होती,'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) ''का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''जमा करने या उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) ''ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को'' शब्दों के स्थान पर, ''उस व्यक्ति को, जो ऐसी आय की बाबत कर के लिए दायी है,'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) ''दौरान आय की प्रकृति'' शब्दों के स्थान पर, ''दौरान संदत्त या जमा की गई आय की प्रकृति'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) ''संदत्त आय'' शब्दों के स्थान पर, ''संदत्त या जमा की गई आय'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) ''ऐसी आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) ''उद्भूत हुई हो'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो'' शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(4) किसी पूर्ववर्ष के दौरान जोखिम पूंजी उपक्रम में किए गए विनिधानों से जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या उसके पास नहीं की जाती है तो वह पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को, उक्त व्यक्ति के खाते में उसी अनुपात में जमा की गई समझी जाएगी, जिसमें ऐसा व्यक्ति आय को, यदि उसे पूर्ववर्ष में संदत्त किया जाता, प्राप्त करने के लिए हकदार होता।'';

(ii) स्पष्टीकरण को, उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, 1 जुलाई, 2012 से, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी कोई आय, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की पूर्ववर्ष में की कुल आय में सम्मिलित किया गया है, उसके उक्त पूर्ववर्ष में उपगत या उद्भूत होने मद्दे ऐसे व्यक्ति की उस पूर्ववर्ष में की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसमें ऐसी आय जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा उसको वस्तुतः संदत्त की जाती है ।''।

धारा 115फछ का संशोधन

55. आय-कर अधिनियम की धारा 115फछ की उपधारा (3) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी, 1 अप्रैल, 2013 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

शुद्ध टनभार वाला अर्हक पोत	दैनिक टनभार आय की रकम
(1)	(2)
1,000 तक	प्रत्येक 100 टन के लिए 70 रु0
1,000 से अधिक, किन्तु 10,000 से अनधिक	700 रु0 **धन** 1,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 53 रु0
10,000 से अधिक, किन्तु 25,000 से अनधिक	5,470 रु0 **धन** 10,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 42 रु0
25,000 से अधिक	11,770 रु0 **धन** 25,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 29 रु0 ।"।

धारा 139 का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) में,—

(क) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो निवासी है, जिससे इस उपधारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की गई है और जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में कोई वित्तीय हित भी है) है या जिसे भारत के बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है, पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय या हानि की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए एक विवरणी, नियत तारीख को या उससे पूर्व, प्रस्तुत करेगा ।";

(ख) स्पष्टीकरण 2 में,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) "जहां" शब्द के पश्चात्, "खंड (कक) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती से भिन्न" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपखंड (i) में, "खंड (कक) में निर्दिष्ट किसी कंपनी से भिन्न" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (कक) में, "जो ऐसी कंपनी है, जो" के स्थान पर "जो" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 140क का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 140क में, 1 अप्रैल, 2013 से,—

(i) उपधारा (1) के खंड (v) में, "धारा 115जकक" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या धारा 115जघ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) के खंड (i) के उपखंड (ङ) में, "धारा 115जकक" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या धारा 115जघ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (1ख) के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में, "धारा 115जकक" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या धारा 115जघ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 143 का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

(क) उपधारा (1ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1घ) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती को सूचना जारी की गई है वहां किसी विवरणी पर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा।";

(ख) उपधारा (3) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि पहले और दूसरे पंरतुक में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी न्यास या संस्था के मामले में किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपबंधों को प्रभावी नहीं बनाया जाएगा, यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के उपबंध ऐसे व्यक्ति के मामले में उस पूर्ववर्ष में लागू हो जाते हैं, चाहे ऐसे न्यास या संस्था को दिए गए अनुमोदन को या ऐसे न्यास या संस्था की बाबत जारी की गई अधिसूचना को वापस ले लिया गया हो या नहीं या विखंडित कर दिया गया हो या नहीं ।"।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 144ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 144खक का अंतःस्थापन ।

"144खक. (1) यदि निर्धारण अधिकारी का, उसके समक्ष निर्धारण या पुनः निर्धारण कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह विचार है कि किसी ठहराव को अध्याय 10क के अर्थांतर्गत किसी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करना और ऐसे ठहराव के परिणाम अवधारित करना आवश्यक है तो वह इस संबंध में आयुक्त को निर्देश कर सकेगा । कतिपय मामलों में आयुक्त को निर्देश।

(2) आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, यदि उसकी यह राय है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लेना अपेक्षित है तो एक सूचना, उसमें ऐसी राय के कारणों और आधार को उपवर्णित करते हुए निर्धारिती को आक्षेप, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए और निर्धारिती को साठ दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सुनवाई का अवसर देते हुए, जारी करेगा ।

(3) यदि निर्धारिती उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के प्रति कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं करता है तो आयुक्त ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा करने के संबंध में ठीक समझे ।

(4) यदि निर्धारिती प्रस्तावित कार्रवाई के प्रति आक्षेप करता है और आयुक्त का, मामले में निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात्, निर्धारिती के स्पष्टीकरण के प्रति समाधान नहीं होता है तो वह उस मामले में ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा के प्रयोजन के लिए अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्देश करेगा ।

(5) यदि आयुक्त का, निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब नहीं लिया जाना है तो वह लिखित आदेश द्वारा उसकी संसूचना, निर्धारिती को एक प्रति के साथ, निर्धारण अधिकारी को देगा ।

(6) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (4) के अधीन आयुक्त से निर्देश प्राप्त होने पर, ठहराव की अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा की बाबत, जिसके अंतर्गत उस पूर्ववर्ष या उन पूर्ववर्षों को विनिर्दिष्ट करना भी है, जिनके लिए ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में ऐसी घोषणा लागू होगी, ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(7) उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे निदेशों के संबंध में, जो, यथास्थिति, निर्धारिती के हित या राजस्व के हित के प्रतिकूल हों, निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(8) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश जारी करने से पूर्व,—

(i) यदि उसकी यह राय है कि मामले में कोई और जांच आवश्यक है, आयुक्त को ऐसी और जांच करने या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा ऐसी और जांच कराने तथा ऐसी जांच के परिणामों वाली रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ; या

(ii) मामले से संबंधित ऐसे अभिलेखों को मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ; या

(iii) निर्धारिती से ऐसा दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह इस प्रकार निदेश दे।

(9) यदि अनुमोदनकर्ता पैनल के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है तो उस मुद्दे का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(10) उपधारा (6) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा या उपधारा (3) के अधीन आयुक्त द्वारा जारी किया गया प्रत्येक निदेश निर्धारण अधिकारी पर आबद्धकर होगा और निर्धारण अधिकारी, निदेशों की प्राप्ति पर, निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(11) यदि उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश में यह विनिर्दिष्ट है कि ऐसे ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए लागू होती है, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियां तात्पर्यित हैं, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करते समय ऐसे निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार ऐसा करेगा और उसके लिए उस मुद्दे पर सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में नए सिरे से निदेश लेना आवश्यक नहीं होगा ।

(12) निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनःनिर्धारण संबंधी कोई आदेश, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा, यदि किसी ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा करते हुए उपधारा (6) या उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुसरण में अध्याय 10क के उपबंधों के अधीन आदेश में कोई कर परिणाम अवधारित किए गए हैं ।

(13) उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश उस मास के, जिसमें उपधारा (4) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा निर्देश प्राप्त किया गया था, अंत से छह मास की अवधि के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(14) बोर्ड, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक अनुमोदनकर्ता पैनल का गठन करेगा, जो तीन से अन्यून ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो आयुक्त और उससे ऊपर की पंक्ति के आय-कर प्राधिकारी हों ।

(15) बोर्ड, अनुमोदनकर्ता पैनल के दक्ष कार्यकरण और उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निर्देशों के शीघ्र निपटान के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगा ।"।

धारा 144ग का संशोधन।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग में,—

(क) उपधारा (4) में, "धारा 153 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 153 या धारा 153ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अक्तूबर, 2009 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि परिवर्तन को वर्धित करने की विवाद समाधान पैनल की शक्ति में प्रारूप आदेश से संबंधित निर्धारण कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले किसी मामले पर, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा मामला पात्र निर्धारिती द्वारा उठाया गया था या नहीं, विचार करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव सम्मिलित की गई समझी जाएगी ।";

(ग) उपधारा (13) में, "धारा 153 में", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 153 या धारा 153ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अक्तूबर, 2009 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(14क) इस धारा के उपबंध धारा 144खक की उपधारा (12) के अधीन आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश को लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 147 का संशोधन।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 147 में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) के संबंध में कर से प्रभार्य कोई आय, किसी निर्धारण वर्ष के लिए, निर्धारण से छूट गई है ;";

(ii) दूसरे परंतुक में, "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जांएगे ;

(iii) स्पष्टीकरण 2 में,—

(I) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) जहां निर्धारिती किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिसके लिए उससे धारा 92ङ के अधीन ऐसी अपेक्षा की गई थी;";

(II) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि उसके पास भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) है ।";

(iv) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित उपबंध, 1 अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे।"।

धारा 149 का संशोधन।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 149 में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, "या खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"(ग) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, किन्तु सोलह वर्ष से अनधिक वर्ष व्यपगत हो चुके हों तो जब तक कि भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) कर से प्रभार्य ऐसी आय, निर्धारण से छूट नहीं गई है ।";

(आ) उपधारा (3) में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छह वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(इ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

''**स्पष्टीकरण—**शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंध, 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे।''।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में,— धारा 153 का संशोधन।

(अ) 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) पहले परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2004 या किसी पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्ष को'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाला निर्धारण वर्ष है या कोई पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्ष है'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2009 के पूर्व आरंभ होने वाला निर्धारण वर्ष है या कोई पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्ष है'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि यदि वह निर्धारण वर्ष, जिसमें आय पहले निर्धारणीय थी, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष या कोई पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्ष है और कुल आय के निर्धारण संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जुलाई, 2012 के पूर्व किया जाता है, किंतु उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

तो खंड (क) के उपबंध, पहले परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द रखे गए हों ;';

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) दूसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्'' अंकों और शब्दों के पश्चात्, '', किंतु 1 अप्रैल, 2011 के पूर्व'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) तीसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्'' अंकों और शब्दों के पश्चात्, ''किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि जहां धारा 148 के अधीन सूचना की तामील 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् की गई थी और कुल आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनर्संगणना करने संबंधी कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश,—

(i) 1 जुलाई, 2012 के पूर्व किया जाता है, किंतु उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश, उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''दो वर्ष'' शब्द रखे गए हों ;';

(iii) उपधारा (2क) में,—

(क) दूसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्'', अंकों और शब्दों के पश्चात्, ''किंतु 1 अप्रैल, 2011 के पूर्व'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) तीसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्'' अंकों और शब्दों के पश्चात्, ''किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि जहां धारा 254 के अधीन आदेश, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल, 2010 को या उसके

पश्चात् प्राप्त किया जाता है, और कुल आय का नए सिरे से निर्धारण करने संबंधी कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश,—

(i) 1 जुलाई, 2012 से पूर्व किया जाता है, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''दो वर्ष'' शब्द रखे गए हों ;';

(आ) स्पष्टीकरण 1 में,—

(क) खंड (viii) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए निर्देश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि ।''।

धारा 153क का संशोधन।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 153क की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 जुलाई, 2012 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा ऐसे मामलों के वर्ग या वर्गों को (उन मामलों के सिवाय, जहां किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण का दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन किया गया है) विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।''।

धारा 153ख का संशोधन।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख में,—

(I) उपधारा (1) में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) दूसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2009 के पूर्व प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जुलाई, 2012 से पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख के पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

वहां इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध, दूसरे परंतुक के खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''तीन वर्ष'' शब्द रखे गए हों ।';

(iv) चौथे परंतुक में ''1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2009 के पूर्व प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(v) चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती

वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जुलाई, 2012 के पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख के पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् किया जाता है,

वहां ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि, दूसरे परंतुक के खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, अंत से छत्तीस मास या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन उस अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से चौबीस मास की अवधि, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी ।';

(II) स्पष्टीकरण में, —

(क) खंड (viii) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (viii) के पश्चात्, और "अपवर्जित की जाएगी।" शब्दों के पूर्व, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए निर्देश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि ,"।

धारा 153ग का संशोधन।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा, ऐसे अन्य व्यक्ति की बाबत, ऐसे मामलों के वर्ग या वर्गों को उन मामलों के सिवाय, जहां किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण का उपशमन किया गया है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।"।

धारा 154 का संशोधन।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 154 में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(क) उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को संशोधित कर सकेगा ।';

(ख) उपधारा (2) के खंड (ख) में, "निर्धारिती द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, "निर्धारिती" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, क्रमशः "निर्धारिती या कटौतीकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) जहां किसी ऐसे संशोधन का परिणाम निर्धारण को कम करना या निर्धारिती या कटौतीकर्ता के दायित्व को अन्यथा कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई प्रतिदाय करेगा, जो ऐसे निर्धारिती या कटौतीकर्ता को देय हो।";

(ङ) उपधारा (6) में "प्रतिदाय को घटाना है वहां निर्धारण अधिकारी संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में मांग की सूचना की निर्धारिती पर" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिदाय को घटाना या निर्धारिती या कटौतीकर्ता के दायित्व को अन्यथा बढ़ाना है, वहां निर्धारण अधिकारी संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में मांग की सूचना की निर्धारिती या कटौतीकर्ता पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (8) में "निर्धारिती द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 156 का संशोधन।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 156 में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक, 1 जुलाई, 2012 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा संदाय की जाने वाली किसी राशि का अवधारण किया जाता है, वहां उन उपधाराओं के अधीन सूचना को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझा जाएगा ।"।

धारा 193 का संशोधन।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 193 में, परंतुक के खंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 जुलाई, 2012 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(v) किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, पुरोधृत किसी डिबेंचर पर ऐसे किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को, जो भारत में निवासी है, संदेय कोई ब्याज, यदि—

(क) कंपनी द्वारा ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे डिबेंचर पर, यथास्थिति, संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य ऐसे ब्याज की रकम या ऐसे ब्याज की रकमों का योग पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ख) कंपनी द्वारा ऐसा ब्याज, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा संदत्त किया जाता है ;"।

धारा 194ङ का संशोधन।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 194ङ में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(क) "भाग लेने वाला भी है)" शब्दों और कोष्ठक के पश्चात्, "या किसी मनोरंजनकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "बीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ञ का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 जुलाई, 2012 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) किसी कंपनी के किसी निदेशक को कोई पारिश्रमिक या फीस या कमीशन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उनसे भिन्न, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है ; या"।

धारा 194ठक का संशोधन।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के परंतुक में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द, 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 194ठकक का अंतःस्थापन ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अक्तूबर, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय ।

'194ठकक. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो निर्धारिती है (धारा 194ठक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न) जो किसी निवासी अंतरक को किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि के अंतरक के खाते में जमा करते समय या ऐसी राशि का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर ऐसी राशि के एक प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल ऐसी स्थावर संपत्ति के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित होने की दशा में, पचास लाख रुपए से कम है या ऐसी स्थावर संपत्ति के विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित होने की दशा में, बीस लाख रुपए से कम है।

(3) जहां किसी स्थावर संपत्ति के अर्जन के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है, वहां इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य को, उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए उस स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल समझा जाएगा ।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ङ) या उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में या उसमें किसी व्यक्ति के अधिकार, हक या हित को अंतरित, समनुदेशित, सीमित या निर्वापित करने के लिए तात्पर्यित है और जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, वहां कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज को तब तक रजिस्टर नहीं करेगा, जब तक अंतरिती इस धारा के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती का और इस प्रकार की गई कटौती की गई राशि का केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय का सबूत विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर देता है।

1908 का 16

(5) धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कृषि भूमि" से भारत में ऐसी कृषि भूमि अभिप्रेत है, जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) और मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में स्थित भूमि नहीं है ;

(ख) ''स्थावर संपत्ति'' से कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है;

(ग) ''विनिर्दिष्ट क्षेत्र'' से निम्नलिखित से मिलकर बना कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा—

(i) बृहत्तर मुम्बई नगर बस्ती;

(ii) दिल्ली नगर बस्ती ;

(iii) कोलकाता नगर बस्ती ;

(iv) चेन्नई नगर बस्ती ;

(v) हैदराबाद नगर बस्ती ;

(vi) बंगलुरु नगर बस्ती ;

(vii) अहमदाबाद नगर बस्ती ;

(viii) फरीदाबाद जिला ;

(ix) गुड़गांव जिला ;

(x) गौतमबुद्धनगर जिला ;

(xi) गाजियाबाद जिला ;

(xii) गांधीनगर जिला ; और

(xiii) सिकन्दराबाद नगर ;

(घ) किसी नगर बस्ती से मिलकर बना क्षेत्र 2001 की जनगणना के आधार पर उस नगर बस्ती में सम्मिलित क्षेत्र होगा ।'।

नई धारा 194ठग का अंतःस्थापन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय कारबार में लगी हुई भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय ।

'194ठग. (1) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में कोई आय किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी को किसी विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज, विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा—

(i) उसके द्वारा 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2015 के पूर्व किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी ऋण करार के अधीन भारत के बाहर किसी स्रोत से विदेशी करेंसी में उधार ली गई धनराशियों की बाबत ; और

(ii) उस सीमा तक, जिस तक ऐसा ब्याज इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा, ऋण और उसके प्रतिदाय के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित दर पर परिकलित ब्याज की रकम से अधिक नहीं है,

संदेय ब्याज के रूप में, आय होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) ''विदेशी करेंसी'' पद का वही अर्थ होगा, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है ; 1999 का 42

(ख) ''विनिर्दिष्ट कंपनी'' से ऐसी कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के कारबार में लगी हुई है—

(i) विद्युत का उत्पादन या वितरण या पारेषण ; या

(ii) वायुयान का प्रचालन ; या

(iii) उर्वरक का विनिर्माण या उत्पादन ; या

(iv) सड़क का, जिसके अंतर्गत पथ कर सड़क या पुल भी है, सन्निर्माण ; या

(v) पत्तन का, जिसके अंतर्गत अंतरदेशीय पत्तन भी है, सन्निर्माण ; या

(vi) पोत प्रांगण में पोतों का सन्निर्माण ; या

(vii) बांध का सन्निर्माण ; या

(viii) धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (vii) में यथाविनिर्दिष्ट किसी आवास परियोजना का विकास और निर्माण ।'।

धारा 195 का संशोधन।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 195 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "किसी ब्याज का" शब्दों के स्थान पर, "किसी ब्याज का [जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज नहीं हैं]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा (1) का अनुपालन करने और उसके अधीन कटौती करने की बाध्यता सभी व्यक्तियों, निवासी या अनिवासी, को लागू होगी और सदैव लागू हुई समझी जाएगी तथा विस्तारित होगी और सदैव विस्तारित की गई समझी जाएगी, चाहे अनिवासी व्यक्ति का—

(i) भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारोबारी संबंध ; या

(ii) भारत में किसी प्रकार की किसी रीति में कोई अन्य उपस्थिति,

हो या नहीं ।";

(ख) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों या मामलों का कोई वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जहां किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि का, चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या नहीं, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात का अवधारण करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसे अवधारण पर, उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती, राशि के अनुपात पर, की जाएगी, जो इस प्रकार प्रभार्य है ।"।

धारा 197क का संशोधन।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 197क की उपधारा (1ग) में, "पैंसठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "साठ वर्ष" शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ।

धारा 201 का संशोधन।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 201 में,—

(अ) 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, जो किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा राशि पर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस निवासी ने—

(i) धारा 139 के अधीन आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत कर दी है ;

(ii) आय की उस विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी राशि को हिसाब में लिया है ; और

(iii) ऐसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई आय पर देय कर का संदाय कर दिया है,

और वह व्यक्ति किसी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है :";

(ख) परंतुक में "परंतु" शब्द के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा राशि पर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, किंतु उसे उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी

निर्धारिती नहीं समझा जाता है, तो खंड (i) के अधीन ब्याज उस तारीख से, जिसको ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे निवासी द्वारा आय की विवरणी फाइल करने की तारीख तक के लिए संदेय होगा ।";

(आ) उपधारा (3) के खंड (ii) में, "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "छह वर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2010 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(इ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लेखापाल" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उसका है ।"।

धारा 204 का संशोधन।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 204 में, खंड (iii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित खंड 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(iv) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य, किसी राशि के, यथास्थिति, जमा की या संदाय की दशा में, आहरण और संवितरण अधिकारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, चाहे जो भी नाम हो, जो, यथास्थिति, ऐसी राशि को जमा करने या उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी है ।"।

धारा 206ग का संशोधन।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(क) उपधारा (1) में, सारणी में, क्रम संख्यांक (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र0सं0	माल की प्रकृति	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
"(vii)	खनिज, जो कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क हैं	एक प्रतिशत ।";

(ख) उपधारा (1ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है और सोना-चांदी या आभूषणों के विक्रयार्थ प्रतिफल के रूप में नकद में कोई रकम प्राप्त करता है, नकद में ऐसी रकम प्राप्त करने के समय क्रेता से उस दशा में आय-कर के रूप में विक्रय प्रतिफल के एक प्रतिशत के बराबर राशि संगृहीत करेगा, यदि विक्रय प्रतिफल दो लाख रुपए से अधिक हो जाता है ।";

(ग) उपधारा (2) में, "या उपधारा (1ग)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या उपधारा (1घ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) में, "या उपधारा (1ग)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या उपधारा (1घ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (6क) में,—

(अ) परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी, उपधारा (1घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने—

(i) धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है ;

(ii) आय की ऐसी विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी रकम को हिसाब में लिया है ; और

(iii) आय की ऐसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित आय पर देय कर का संदाय कर दिया है,

और वह व्यक्ति किसी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है ; ";

(आ) विद्यमान परंतुक में "परंतु" शब्द के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी, उपधारा (1घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, किंतु उसे उपधारा (6क) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है,

तो ब्याज उस तारीख से, जिसको ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तक के लिए संदेय होगा ।'';

(छ) उपधारा (9) में, ''या उपधारा (1ग)'' शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, ''या उपधारा (1घ)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ज) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में,—

(I) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) ''लेखापाल'' का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(कक) ''क्रेता'' से,—

(i) उपधारा (1) के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विक्रय में, नीलामी, निविदा के रूप में या किसी अन्य ढंग से, उपधारा (1) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकृति का माल अथवा किसी ऐसे माल को प्राप्त करने का अधिकार अभिप्राप्त करता है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(अ) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार और कोई राजदूतावास, कोई उच्चायोग, दूतावास, आयोग, किसी विदेशी राज्य का कौंसल कार्यालय और व्यापार प्रतिनिधि तथा कोई क्लब ; या

(आ) उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए क्रय किए गए ऐसे माल के फुटकर विक्रय में कोई क्रेता;

(ii) उपधारा (1घ) के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विक्रय में उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति का माल अभिप्राप्त करता है ;

(कख) ''आभूषण'' का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण में उसका है ;';

(II) खंड (ग) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, ''या उपधारा (1घ)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 207 का संशोधन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 207 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(2) उपधारा (1) के उपबंध भारत में ऐसे किसी व्यष्टिक निवासी को लागू नहीं होंगे,—

(क) जिसकी ''कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय नहीं है ; और

(ख) जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का है ।''।

धारा 209 का संशोधन।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु अग्रिम कर संबंधी दायित्व की संगणना करने के लिए, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन परिकलित आय-कर में से, प्रत्येक दशा में, आय-कर की उतनी पूर्वोक्त रकम घटाई नहीं जाएगी, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऐसी आय में से स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहण योग्य होती, यदि कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ने कर की कटौती के बिना ऐसी आय का संदाय या उसे जमा कर दिया है या वह ऐसे कर का संग्रहण किए बिना कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या विकलित कर दी गई है ।''।

धारा 234क का संशोधन।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 234क की उपधारा (1) के खंड (vi) में, ''धारा 115जकक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, ''या धारा 115जघ'' शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 234ख का संशोधन।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण 1 के खंड (v) में, ''धारा 115जकक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, ''या धारा 115जघ'' शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 234ग का संशोधन।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण के खंड (v) में, ''धारा 115जकक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, ''या धारा 115जघ'' शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 234घ का संशोधन।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 234घ में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के उपबंध 1 जून, 2003 से पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में भी लागू होंगे, यदि उस निर्धारण वर्ष की बाबत कार्यवाहियां उक्त तारीख के पश्चात् पूरी हो जाती हैं ।''।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 234घ के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष और धारा, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 234ङ का अंतःस्थापन।

"छ—कतिपय दशाओं में फीस का उद्ग्रहण

234ङ (1) अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई व्यक्ति धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने में या परिदत्त कराने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि, का फीस के रूप में, संदाय करने के लिए दायी होगा । विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रमों के लिए फीस ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, यथास्थिति, कटौती योग्य या संग्रहण करने योग्य कर की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसार कोई विवरण परिदत्त करने से या परिदत्त कराने से पूर्व संदत्त की जाएगी ।

(4) इस धारा के उपबंध धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे विवरण को लागू होंगे, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है ।"।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (1) के परंतुक में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) में, "पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "तलाशी की तारीख को" शब्द, 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे । धारा 245ग का संशोधन।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (2) में, "दो हजार पांच सौ रुपए की फीस होगी" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए की फीस या ऐसी फीस होगी, जो इस निमित्त विहित की जाए, जो भी उच्चतर हो" शब्द, 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे । धारा 245थ का संशोधन।

89. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में,— धारा 246क का संशोधन।

(i) "कोई निर्धारिती जो" शब्दों के स्थान पर "कोई निर्धारिती या कोई कटौतीकर्ता, जो" शब्द 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में,—

(I) "धारा 143 की उपधारा (1) या उपधारा (1ख) के अधीन कोई संसूचना, जहां निर्धारिती" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 143 की उपधारा (1) या उपधारा (1ख) अथवा धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन कोई संसूचना, जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ;

(II) "विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय" शब्दों के स्थान पर, "[विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सिवाय]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में, "विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय" शब्दों के स्थान पर, "[विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सिवाय]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे;

(iv) खंड (खक) में,—

(I) "धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश" शब्दों के स्थान पर, "[सिवाय विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित किसी आदेश के]" कोष्ठक और शब्द 1 अक्तूबर, 2009 से रखे जाएंगे;

(II) "विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय" शब्दों के स्थान पर, "विवाद समाधान पेनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सिवाय" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ;

(v) खंड (खक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"(खख) धारा 92गघ की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश ;";

(vi) खंड (ग) में, "उक्त धाराओं में से किसी के अधीन" शब्दों के पश्चात्, ", सिवाय जहां वह धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश की बाबत है," शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(vii) खंड (ञ) के उपखंड (आ) में "धारा 271ककक" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, ", धारा 271ककख" शब्द, अंक और अक्षर 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ।

धारा 253 का संशोधन।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 253 में,—

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) में, "धारा 147 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अक्तूबर, 2009 से रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) धारा 144खक की उपधारा (12) में यथानिर्दिष्ट आयुक्त के अनुमोदन से धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश या ऐसे आदेश की बाबत धारा 154 या धारा 155 के अधीन पारित कोई आदेश ।";

(आ) 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"(2क) आयुक्त, यदि वह धारा 144ग की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती द्वारा 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् फाइल किए गए किसी आक्षेप की बाबत धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी निदेश के प्रति आक्षेप करता है, जिसके अनुसरण में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण या पुनर्निर्धारण पूरा करते हुए आदेश पारित किया है, निर्धारण अधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।";

(ii) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"(3क) उपधारा (2क) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख के, जिसको धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने की वांछा की गई है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।";

(iii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या निर्धारिती, यह सूचना प्राप्त होने पर कि, यथास्थिति, उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) या विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसार निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन अपील दूसरे पक्षकार द्वारा की गई है, इस बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील न की हो, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी (विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में) या उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध विहित रीति में सत्यापित प्रत्याक्षेपों का एक ज्ञापन फाइल कर सकेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो वह उपधारा (3) या उपधारा (3क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई कोई अपील हो ।"।

धारा 254 का संशोधन।

91. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) में, "उपधारा (1) या उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 271 का संशोधन।

92. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 7 में "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" शब्दों के स्थान पर "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 271कक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

93. आय-कर अधिनियम की धारा 271कक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 जुलाई, 2012 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों की बाबत जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहने के लिए शास्ति।

"271कक. धारा 271 या धारा 271खक के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत,—

(i) धारा 92घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित कोई जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहता है ;

(ii) ऐसे संव्यवहार की रिपोर्ट देने में, जिसको देना उससे अपेक्षित है, असफल रहता है ; या

(iii) गलत जानकारी या दस्तावेज बनाए रखता है या प्रस्तुत करता है,

तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।"।

धारा 271कक का संशोधन।

94. इस अधिनियम की धारा 93 द्वारा इस प्रकार प्रतिस्थापित की गई आय-कर अधिनियम की धारा 271कक में, "अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार" शब्दों के स्थान पर, "अन्तरराष्ट्रीय देशी संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" शब्द, 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 271ककक का संशोधन।

95. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककक की उपधारा (1) में, "1 जून, 2007 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के पश्चात् "किन्तु 1 जुलाई, 2012 के पूर्व" अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271ककख का अंतःस्थापन।

'271ककख. (1) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी मामले में, जहां तलाशी 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है, वहां निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, शास्ति के रूप में निम्नलिखित का संदाय करेगा,— जहां तलाशी आरंभ की गई है, वहां शास्ति।

(क) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से संगणित कोई राशि, यदि ऐसा निर्धारिती—

(i) तलाशी के अनुक्रम में, धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और वह रीति विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है ;

(ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न की गई थी ; और

(iii) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व,—

(अ) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है ;

(आ) उसने विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी, उसमें ऐसी अप्रकटित आय की घोषणा करते हुए प्रस्तुत करता है ;

(ख) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के बीस प्रतिशत की दर से संगणित कोई राशि, यदि ऐसा निर्धारिती—

(i) तलाशी के अनुक्रम में, धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार नहीं करता है ; और

(ii) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व,—

(अ) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के लिए प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में ऐसी आय की घोषणा करता है ; और

(आ) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है ;

(ग) ऐसी राशि का, जो विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के तीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, किंतु नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यदि वह खंड (क) और खंड (ख) के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आती है ।

(2) धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति, निर्धारिती पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय की बाबत अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(3) धारा 274 और धारा 275 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा में निर्दिष्ट शास्ति के संबंध में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट तारीख" से, यथास्थिति, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख या वह तारीख, जिसको आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 153क के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होती है, अभिप्रेत है ;

(ख) "विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष" से वह पूर्ववर्ष अभिप्रेत है,—

(i) जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है किंतु उस वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है और निर्धारिती ने उक्त तलाशी की तारीख से पूर्व पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी नहीं दी है ; या

(ii) जिसमें तलाशी ली गई थी ;

(ग) "अप्रकटित आय" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखा बहियों में किसी प्रविष्टि या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों से, जो धारा 132 के अधीन तलाशी के अनुक्रम में पाए जाते हैं, पूर्णतः या भागतः प्रदर्शित, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे,—

(अ) तलाशी की तारीख को या उससे पूर्व ऐसे पूर्ववर्ष के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित नहीं किया गया है ; या

(आ) तलाशी की तारीख से पूर्व मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अन्यथा प्रकट नहीं किया गया है ; या

(ii) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के संबंध में, सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किसी व्यय की बाबत किसी प्रविष्टि द्वारा पूर्णतः या भागतः प्रदर्शित, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे मिथ्या पाया जाता है और इस प्रकार नहीं पाया जाता यदि तलाशी न ली गई होती ।'।

97. आय-कर अधिनियम की धारा 271छ में, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे । धारा 271छ का संशोधन।

नई धारा 271ज का अंतःस्थापन।

98. आय-कर अधिनियम की धारा 271छ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विवरण, आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

"271ज. (1) अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा, यदि वह—

(क) धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने में या परिदत्त कराने में असफल रहता है ; या

(ख) उस विवरण में, जो धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन परिदत्त किया जाना या कराया जाना अपेक्षित है, अशुद्ध जानकारी प्रस्तुत करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति ऐसी राशि की होगी, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट असफलता के लिए कोई शास्ति ऐसी दशा में उद्‌गृहीत नहीं की जाएगी, यदि वह व्यक्ति यह साबित कर देता है कि काटे गए या संगृहीत कर का ऐसी फीस और ब्याज के साथ, यदि कोई हो, केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने के पश्चात् उसने धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट विवरण को, ऐसे विवरण को परिदत्त करने या परिदत्त कराने के लिए विहित समय से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, परिदत्त कर दिया था या परिदत्त करा दिया था ।

(4) इस धारा के उपबंध धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी ऐसे विवरण को लागू होंगे, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है ।"।

धारा 272क का संशोधन।

99. आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (2) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि खंड (ट) में निर्दिष्ट असफलता के लिए इस धारा के अधीन कोई शास्ति उस दशा में उद्‌गृहीत नहीं होगी, यदि ऐसी असफलता धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे विवरण के संबंध में है, जो 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है ।"।

धारा 273ख का संशोधन।

100. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, "धारा 271छ", शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, "धारा 271ज" शब्द, अंक और अक्षर, 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 276ग का संशोधन।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 276ग में, 1 जुलाई, 2012 से—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (i) में "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 276गग का संशोधन।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग में, 1 जुलाई, 2012 से—

(क) खंड (i) में "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 277 का संशोधन।

103. आय-कर अधिनियम की धारा 277 में, 1 जुलाई, 2012 से—

(क) खंड (i) में "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 277क का संशोधन।

104. आय-कर अधिनियम की धारा 277क में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द 1 जुलाई, 2012 से, रखे जाएंगे ।

धारा 278 का संशोधन।

105. आय-कर अधिनियम की धारा 278 में, 1 जुलाई, 2012 से—

(क) खंड (i) में "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 280क, धारा 280ख, धारा 280ग और धारा 280घ का अंतःस्थापन ।

106. आय-कर अधिनियम के अध्याय 22 में, धारा 280 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालय।

"280क. (1) केंद्रीय सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के

अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए एक या अधिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "उच्च न्यायालय" से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, ऐसे पदाभिधान से ठीक पूर्व कार्य कर रहा था ।

1974 का 2

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, कोई विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न ऐसे अपराध का भी विचारण करेगा, जिससे अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जाए।

1974 का 2

विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध ।

280ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध केवल विशेष न्यायालय द्वारा यदि, यथास्थिति, उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, इस प्रकार पदाभिहित किया गया हो, ही विचारणीय होगा, जिसमें अपराध किया गया है :

परंतु धारा 292 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम कोई न्यायालय,—

(i) जिसे इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है, उसके समक्ष के अपराधों का या ऐसे पदाभिधान के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उद्भूत अपराधों का विचारण करता रहेगा ;

(ii) जिसे विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित नहीं किया गया है, उसके समक्ष लंबित ऐसे अपराधों का, उनका निपटारा किए जाने तक, विचारण जारी रख सकेगा ;

(ख) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा की गई किसी शिकायत पर, ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकेगा, जिसके लिए अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाता है ।

1974 का 2

अपराधों का समन मामले के रूप में विचारण ।

280ग. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय, इस अध्याय के अधीन दो वर्ष से अनधिक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय किसी अपराध का विचारण, समन मामले के रूप में करेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जैसे वे समन मामले के विचारण की दशा में लागू होते हैं,

1974 का 2

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होना ।

280घ. (1) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध (जिसके अंतर्गत जमानतों या बंधपत्रों के बारे में उपबंध भी हैं) विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होंगे और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा :

परंतु केंद्रीय सरकार किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए किसी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा वाले किसी अधिवक्ता के रूप में, सात वर्ष से अन्यून के लिए व्यवसाय में नहीं रहा है ।

1974 का 2

(3) इस धारा के अधीन किसी लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंधों का तदनुसार प्रभाव होगा ।"।

नई धारा 292गग का अंतःस्थापन ।

107. आय-कर अधिनियम की धारा 292ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1976 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में प्राधिकार और निर्धारण ।

"292गग. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) धारा 132 के अधीन प्रत्येक व्यक्ति के नाम में पृथक् रूप से प्राधिकार जारी करना या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करना आवश्यक नहीं होगा ;

(ii) जहां धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा, उसमें एक से अधिक व्यक्तियों का नाम उल्लिखित करते हुए की गई है, तो उस प्राधिकार या अध्यपेक्षा पर एक से अधिक व्यक्तियों के ऐसे नामों के वर्णन का यह अर्थ लगाया गया नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय के नाम में जारी किया गया था ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा उसमें एक से अधिक व्यक्तियों के नाम उल्लिखित करते हुए की गई है, वहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण उस प्राधिकार या अध्यपेक्षा में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति के नाम में पृथक्तया किया जाएगा ।"।

धारा 296 का संशोधन।

108. आय-कर अधिनियम की धारा 296 में, "धारा 139 की उपधारा (1ग)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, "या धारा 153क की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक या धारा 153ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 जुलाई, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धन-कर

धारा 2 का संशोधन। **109.** धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (डक) के उपखंड (i) की मद (1) में, "पांच लाख" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख" शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे। 1957 का 27

धारा 17 का संशोधन। **110.** धन-कर अधिनियम की धारा 17 में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(क) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है), कर से प्रभार्य कोई शुद्ध धन, किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गया है :";

(ख) उपधारा (1क) में,—

(i) खंड (क) में, "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात् "या खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, किन्तु सोलह वर्ष से अनधिक, व्यपगत हो चुके हों तो जब तक कि कर से प्रभार्य शुद्ध धन, भारत के बाहर अवस्थित उन आस्तियों मद्दे (जिनके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) निर्धारण से छूट न गया हो ।";

(iii) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि उसके पास भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) है ।" ;

(iv) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथा संशोधित इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे ।"।

धारा 17क का संशोधन। **111.** धन-कर अधिनियम की धारा 17क में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष या कोई पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष है" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, "1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2011 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक में, "1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2011 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 45 का संशोधन। **112.** धन-कर अधिनियम की धारा 45 में, खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1957 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(ट) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन निगमित भारतीय रिजर्व बैंक ।"। 1934 का 2

कतिपय मामलों में आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन मांग, आदि का विधिमान्यकरण। **113.** किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी के शेयर या शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप या भारत के बाहर किसी करार के परिणामस्वरूप या अन्यथा, भारत में स्थित किसी पूंजी आस्ति के अंतरण द्वारा या उससे प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय के संबंध में, आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन भेजी गईं या भेजे जाने के लिए तात्पर्यित सभी सूचनाएं, या उद्गृहीत, मांग, निर्धारित, अधिरोपित, संगृहीत या वसूल किए जाने अथवा उद्गृहीत, मांग, निर्धारित, अधिरोपित, संगृहीत या वसूल किए जाने के लिए तात्पर्यित विधिमान्य रूप से भेजी गई या की गई समझी जाएंगी और कर की सूचना, उसका उद्ग्रहण, मांग, निर्धारण, अधिरोपण, संग्रहण या वसूली विधिमान्य होगी और सदैव विधिमान्य रही समझी जाएगी और इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसे संव्यवहारों से, जो भारत के बाहर किए गए हैं, उद्भूत पूंजी अभिलाभों के संबंध में कर है और तदनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उद्गृहीत, मांग, निर्धारित, अधिरोपित या जमा किए गए तथा ऐसे प्रारंभ से पूर्व किसी अवधि के लिए प्रभार्य, किंतु ऐसे प्रारंभ से पूर्व संगृहीत या वसूल न किए गए किसी कर को आय-कर अधिनियम, 1961 के, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा संशोधित किए गए, उपबंधों के अनुसार संगृहीत या वसूल और विनियोजित किया जा सकेगा और किसी भी प्रकार के किसी प्रतिदाय का कोई दायित्व या बाध्यता नहीं होगी । 1961 का 43

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52 **114.** सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (10) में, "विमानपत्तन अभिप्रेत है" शब्दों के पश्चात्, "और इसके अंतर्गत उस धारा के खंड (कक) के अधीन किसी विमान वस्तु भाड़ा स्टेशन के रूप में नियत किया गया कोई स्थान भी है" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 2 का संशोधन।

115. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (कक) में, "आधान डिपो" शब्दों के स्थान पर, "आधान डिपो या विमान वस्तु भाड़ा स्टेशन" शब्द रखे जाएंगे । धारा 7 का संशोधन।

116. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 28ककक का अंतःस्थापन।

'28ककक. (1) जहां किसी व्यक्ति को जारी की गई कोई लिखत इस अधिनियम या विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा — कतिपय मामलों में शुल्कों की वसूली। 1992 का 22

(क) दुरभिसंधि से ; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या कथन करके ; या

(ग) तथ्यों को छिपाकर,

ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा अभिप्राप्त की गई है और ऐसी लिखत का इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन उपयोग उस व्यक्ति से, जिसे लिखत जारी की गई थी, भिन्न व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां लिखत के ऐसे उपयोग के संबंध में शुल्क के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर कभी छूट नहीं दी गई थी या उसे विकलित नहीं किया गया था और ऐसा शुल्क उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, जिसे ऐसी लिखत जारी की गई थी :

परंतु यदि इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे लिखत जारी की गई थी, शुल्क की वसूली के संबंध में कार्रवाई धारा 28 के अधीन आयातकर्ता के विरुद्ध किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "लिखत" से ऐसी कोई स्क्रिप या प्राधिकार या अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य दस्तावेज, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन किसी पुरस्कार या प्रोत्साहन स्कीम या शुल्क पर छूट दिए जाने की स्कीम या शुल्क को माफ किए जाने की स्कीम या ऐसी अन्य स्कीम के संबंध में, जिसके अधीन वित्तीय या धन संबंधी ऐसे फायदे दिए जाते हैं, जिनका उपयोग इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन किया जा सकेगा । 1992 का 22

स्पष्टीकरण 2 —इस उपधारा के उपबंध, इस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा, उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, इस प्रकार अभिप्राप्त लिखत के किसी उपयोग के प्रति लागू होंगे, चाहे ऐसी लिखत उसे अनुमति की तारीख के पूर्व जारी की गई हो या नहीं ।

(2) जहां शुल्क उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य बन जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिससे ऐसा शुल्क वसूल किया जाना हो, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त धारा 28कक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियत दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा और ऐसे ब्याज की रकम की संगणना लिखत का उपयोग किए जाने की तारीख से आरंभ होकर ऐसे शुल्क की वसूली की तारीख तक की अवधि के लिए की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूली के प्रयोजनों के लिए, उचित अधिकारी उस व्यक्ति पर, जिसे लिखत जारी की गई थी, ऐसी सूचना की तामील करेगा, जिसमें उससे सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम (ब्याज को छोड़कर) उससे वसूल क्यों नहीं की जानी चाहिए और उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् वह उस व्यक्ति से वसूल किए जाने वाले शुल्क या ब्याज या दोनों की ऐसी रकम का अवधारण करेगा, जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक की न हो और शुल्क अथवा ब्याज या दोनों की रकम को वसूल करने का आदेश पारित करेगा और वह व्यक्ति, जिसे लिखत जारी की गई थी, सूचना में यथाविनिर्दिष्ट रकम का, उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उस रकम पर शोध्य ब्याज सहित प्रतिसंदाय करेगा, चाहे ब्याज की ऐसी रकम को पृथक्तया विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ।

(4) जहां शुल्क का अवधारण किए जाने संबंधी कोई आदेश धारा 28 के अधीन पारित किया गया है, वहां उस शुल्क को वसूल किए जाने संबंधी कोई आदेश इस धारा के अधीन पारित नहीं किया जाएगा ।

(5) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर रकम का प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है, वहां वह रकम, धारा 142 की उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल की जाएगी ।'।

धारा 28खक का संशोधन।

117. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28खक की उपधारा (1) में,—

(क) "या धारा 28ख" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "या धारा 28ककक या धारा 28ख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) "या धारा 28ख की उपधारा (2)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "या धारा 28ककक की उपधारा (3) या धारा 28ख की उपधारा (2)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन ।

118. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) में,—

(क) पहले परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आयातकर्ताओं का वर्ग या के वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो ऐसे शुल्क का इलैक्ट्रानिक रूप में संदाय करेगा :

परंतु यह और कि";

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 75क का संशोधन ।

119. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75क की उपधारा (2) में, "धारा 28कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 28कक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 8 अप्रैल, 2011 से रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 104 का संशोधन ।

120. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को किसी अपराध (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से भिन्न) के लिए गिरफ्तार किया है वहां उसे, उस व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होंगी और वह उन्हीं उपबंधों के अधीन होगा, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन हैं और जिनके अध्यधीन वह हैं। 1974 का 2

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के सिवाय) जमानतीय होंगे । 1974 का 2

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के सिवाय), असंज्ञेय होंगे । 1974 का 2

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे।"। 1974 का 2

नई धारा 104क का अंतःस्थापन।

121. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, लोक अभियोजक को सुने बिना, जमानत का मंजूर न किया जाना।

"104क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक— 1974 का 2

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान न हो गया हो कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह उस अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध किए जाने संभावना नहीं है :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है या स्त्री है या बीमार या शिथिलांग है, यदि मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बारे में अन्वेषण तब तक नहीं करेगा जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो ।"। 1974 का 2

धारा 122 का संशोधन।

122. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 122 में,—

(i) खंड (ख) में, "दो लाख" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 138 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

123. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 138 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अपराधों का संक्षिप्ततः विचारण किया जाना।

1974 का 2

"138. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों से भिन्न) विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्ततः किया जा सकेगा ।"।

धारा 153 का संशोधन।

124. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 153 के खंड (क) में, "जिस व्यक्ति के लिए वह आशयित है, उस व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सेवाओं द्वारा, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाएं," शब्द रखे जाएंगे ।

भारत में विदेश जाने वाले जलयानों के आयात पर अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देने के संबंध में विशेष उपबंध।

1975 का 51

125. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 89 के अधीन आने वाली दूसरी अनुसूची के स्तंभ (1) में नीचे विनिर्दिष्ट मद और उसके वर्णन, उसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और तक, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त होंगे और छूट प्राप्त समझे जाएंगे ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 8ग का संशोधन।

1975 का 51

126. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 8ग की उपधारा (5) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी वस्तु का चीन जनवादी गणराज्य से भारत में, आयात किया जाना जारी है जिससे घरेलू उद्योग का बाजार विच्छिन्न होता है या उसकी आशंका है, वहां केंद्रीय सरकार, ऐसे बाजार के विच्छिन्न होने या उसके कारण उत्पन्न होने वाली किसी आशंका के समायोजन मद्दे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उपायों के होते हुए भी, यदि आवश्यक समझती है कि ऐसे शुल्क का अधिरोपण जारी रहना चाहिए तो ऐसे रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की अवधि को, उस तारीख से, जिसको ऐसा रक्षोपाय शुल्क पहली बार अधिरोपित किया गया था, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो दस वर्ष से अधिक की अवधि की न हो ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन।

127. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची का संशोधन।

128. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।

19

19

19

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

धारा 4 का संशोधन।

129. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(i) "अंतःसंबंधी उपक्रमों" से दो या अधिक ऐसे उपक्रम अभिप्रेत हैं, जो निम्नलिखित किसी रीति में एक दूसरे से अंतःसंबंधित हैं, अर्थात् :—

(क) यदि एक, दूसरे का स्वामी है या उसका नियंत्रण करता है ;

(ख) जहां उपक्रम फर्मों के स्वामित्वाधीन हैं, यदि ऐसी फर्मों के एक या अधिक समान भागीदार हैं ;

(ग) जहां उपक्रम निगमित निकायों के स्वामित्वाधीन हैं,—

(I) यदि एक निगमित निकाय दूसरे निगमित निकाय का प्रबंध करता है ; या

(II) यदि एक निगमित निकाय दूसरे निगमित निकाय का समनुषंगी है ; या

(III) यदि निगमित निकाय एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन हैं ; या

(IV) यदि एक निगमित निकाय किसी अन्य रीति में दूसरे निगमित निकाय पर नियंत्रण का प्रयोग करता है;

(घ) जहां एक उपक्रम किसी निगमित निकाय के स्वामित्वाधीन है और दूसरा किसी फर्म के स्वामित्वाधीन है, वहां यदि फर्म के एक या अधिक भागीदार,—

(I) निगमित निकाय के पचास प्रतिशत से अन्यून शेयर, चाहे अधिमानी या साधारण, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, धारण करता है या करते हैं ; या

(II) निगमित निकाय पर चाहे निदेशक के रूप में या अन्यथा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का प्रयोग करता है या करते हैं ; या

(ङ) यदि एक किसी निगमित निकाय के स्वामित्वाधीन है और दूसरा उसके भागीदारों के रूप में निगमित निकाय वाली किसी फर्म के स्वामित्वाधीन है, यदि ऐसे निगमित निकाय एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन हैं ;

(च) यदि उपक्रम एक ही व्यक्ति या एक ही समूह के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हैं ;

(छ) यदि एक उपक्रम के साथ या तो प्रत्यक्षतः या ऐसी संख्या में उपक्रमों के माध्यम से संबंधित है, जो एक या अधिक पूर्वगामी उपखंडों के अर्थ के भीतर अंतःसंबंधित उपक्रम हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, दो निगमित निकायों को एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन समझा जाएगा,—

(i) यदि ऐसा एक निगमित निकाय, दूसरे निगमित निकाय पर नियंत्रण का प्रयोग करता है या दोनों एक ही समूह या एक ही समूह के किसी घटक के नियंत्रणाधीन हैं ; या

(ii) यदि ऐसे एक निगमित निकाय का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक दूसरे का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक है ; या

(iii) यदि ऐसा एक निगमित निकाय दूसरे में एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करता है या दूसरे के निदेशक बोर्ड की कुल सदस्यता के एक-चौथाई से अन्यून संयोजन का नियंत्रण करता है ; या

(iv) यदि ऐसे एक निगमित निकाय का एक या अधिक निदेशक दूसरे के एक-चौथाई निदेशकों का गठन करते हैं या उस दिन के ठीक पूर्व की छह मास की अवधि के भीतर, जब इस बारे में प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या ऐसे निगमित निकाय एक ही प्रबंधन के अधीन हैं (चाहे स्वतंत्र रूप से या प्रथमवर्णित निगमित निकाय के ऐसे सशक्त या कर्मचारियों के नातेदारों के साथ) गठन करते हैं ; या

(v) यदि किसी समूह का या के समान व्यष्टि, ऐसे एक निगमित निकाय में एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर (चाहे स्वयं या अपने नातेदारों के साथ मिलकर) धारण करते समय दूसरे निगमित निकाय में भी एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर (चाहे स्वयं या अपने नातेदारों के साथ मिलकर) धारण करता है या करते हैं ; या

(vi) यदि किसी समूह का या के समान निगमित निकाय, एक निगमित निकाय में एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर, चाहे स्वतंत्र रूप से या अपने समनुषंगी या समनुषंगियों के साथ मिलकर धारण करते समय दूसरे निगमित निकाय में भी एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करता है या करते हैं ; या

(vii) यदि दोनों निगमित निकायों में से प्रत्येक के संबंध में कुल मतदान शक्ति के एक-चौथाई से अन्यून का प्रयोग या नियंत्रण समान व्यष्टि द्वारा (चाहे स्वतंत्र रूप से या अपने नातेदारों के साथ मिलकर) या समान निगमित निकाय द्वारा (चाहे स्वतंत्र रूप से या अपने समनुषंगियों के साथ मिलकर) किया जाता है ; या

(viii) यदि दोनों निगमित निकायों में से प्रत्येक के संबंध में कुल मतदान शक्ति के एक-चौथाई से अन्यून का प्रयोग या नियंत्रण किसी समूह के समान व्यष्टियों द्वारा या किसी समूह के समान निगमित निकायों द्वारा या ऐसे व्यष्टि या व्यष्टियों या एक या अधिक ऐसे निगमित निकायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है ; या

(ix) यदि ऐसे एक निगमित निकाय के निदेशक दूसरे के एक या अधिक निदेशकों के निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हैं या यदि दोनों निगमित निकायों के निदेशक किसी व्यष्टि के, चाहे किसी समूह से सम्बद्ध हो या नहीं, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हैं ।

स्पष्टीकरण 2—यदि कोई समूह किसी निगमित निकाय पर नियंत्रण का प्रयोग करता है तो वह निगमित निकाय और ऐसा प्रत्येक अन्य निगमित निकाय, जो समूह का घटक है या उसके नियंत्रणाधीन है, समान प्रबंधन के अधीन समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3—यदि एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन दो या अधिक निगमित निकाय, किसी अन्य निगमित निकाय में कुल मिलाकर एक-चौथाई से अन्यून शेयर पूंजी धारण करते हैं तो ऐसा अन्य निगमित निकाय, प्रथमवर्णित निगमित निकाय के रूप में एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 4—यह अवधारित करने में कि क्या दो या अधिक निगमित निकाय समान प्रबंधन के अधीन हैं या नहीं, ऐसे निगमित निकायों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित शेयरों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

दृष्टांत

उपक्रम **ख**, उपक्रम क के साथ अंतःसंबंधित है और उपक्रम **ग**, उपक्रम **ख** के साथ अंतःसंबंधित है । उपक्रम **ग**, उपक्रम **क** के साथ अंतःसंबंधित है ; यदि उपक्रम **घ**, उपक्रम **ग** के साथ अंतःसंबंधित है, तो उपक्रम **घ**, उपक्रम **ख** के साथ और परिणामस्वरूप उपक्रम **क** के साथ और इसी प्रकार आगे भी अंतःसंबंधित होगा ।

स्पष्टीकरण 5—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''समूह'' से,—

(i) दो या अधिक व्यष्टियों, व्यष्टि-संगमों, फर्मों, न्यासों, न्यासियों या निगमित निकायों (वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) या उनके किसी समुच्चय का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो किसी निगमित निकाय, फर्म या न्यास पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, नियंत्रण रखता है या उसके नियंत्रण रखने की स्थिति में होने के लिए उसकी स्थापना की जाती है ; या

(ii) सहयोजित व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 6—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(I) उन व्यक्तियों के समूह के बारे में भी, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी निगमित निकाय, फर्म या न्यास की पालिसी पर, उस निगमित निकाय, फर्म या न्यास में नियंत्रणकारी हित रखे बिना, नियंत्रण रखने में समर्थ है, यह समझा जाएगा कि वे उस पर नियंत्रण रखने की स्थिति में है ;

(II) ''सहयोजित व्यक्तियों'' से,—

(क) किसी निगमित निकाय के निदेशक के संबंध में,—

(i) ऐसे निदेशक का नातेदार अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसी फर्म भी है, जिसमें ऐसा निदेशक या उसका नातेदार भागीदार है ;

(ii) ऐसा कोई न्यास अभिप्रेत है, जिसका ऐसा निदेशक या उसका नातेदार न्यासी है ;

(iii) ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जिसका ऐसा निदेशक, चाहे स्वतंत्र रूप से या अपने नातेदारों के साथ, उसके निदेशक बोर्ड के एक-चौथाई का गठन करता है ;

(iv) कोई अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है, जिसके किसी साधारण अधिवेशन में ऐसे निगमित निकाय के निदेशकों की कुल संख्या के एक-चौथाई से अन्यून निदेशक प्रथमवर्णित निगमित निकाय के निदेशक या उसके नातेदार द्वारा, चाहे वह एकल रूप से कार्य कर रहा हो या संयुक्त रूप से, नियुक्त या नियंत्रित किए जाते हैं ;

(ख) किसी फर्म के भागीदार के संबंध में ऐसे भागीदार का कोई नातेदार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस फर्म का कोई अन्य भागीदार भी है ; और

(ग) किसी न्यास के न्यासी के संबंध में, उस न्यास का कोई अन्य न्यासी अभिप्रेत है ;

(III) जहां ऐसा कोई व्यक्ति किसी अन्य के संबंध में कोई सहयोजित व्यक्ति है, वहां पश्चात्वर्ती के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पूर्ववर्ती के संबंध में सहयोजित व्यक्ति है ।'।

130. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में ''एक लाख'' शब्दों के स्थान पर ''तीस लाख'' शब्द रखे जाएंगे । धारा 9 का संशोधन।

131. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 9क का संशोधन।

1974 का 2 ''(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के सिवाय) असंज्ञेय होंगे ।''।

132. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में,— धारा 11क का संशोधन।

(क) उपधारा (5) में, ''या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से'' शब्दों के स्थान पर ''या संदत्त नहीं किया गया है या उसका कम उद्ग्रहण या कम संदाय किया गया है या भूल से'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(8) जहां किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा सूचना की तामील पर रोक लगा दी जाती है, वहां उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक वर्ष अथवा, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में, उस रोक की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।''।

धारा 11कग का संशोधन।

133. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) में "या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्‌गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से" शब्दों के स्थान पर "या संदत्त नहीं किया गया है या उसका कम उद्‌ग्रहण या कम संदाय किया गया है या भूल से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, "शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शुल्क" शब्दों के स्थान पर "शास्ति की रकम केवल उस दशा में, जहां शास्ति का संदाय इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर दिया जाता है, इस प्रकार अवधारित शुल्क" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12च का संशोधन।

134. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12च की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त" शब्द रखे गए हों ।'। 1974 का 2

धारा 13 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

135. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

गिरफ्तार करने की शक्ति।

"13. (1) यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, अनावश्यक विलंब के बिना, किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा ।

(3) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को किसी अपराध (धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से भिन्न) के लिए गिरफ्तार किया है वहां उसे, उस व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए, वही और उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए शक्तियां होंगी, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को हैं और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन हैं । 1974 का 2

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के सिवाय) जमानतीय होंगे । 1974 का 2

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय होंगे। 1974 का 2

धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए लोक अभियोजक को सुने बिना जमानत का मंजूर न किया जाना।

13क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक — 1974 का 2

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति संबंधी आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो ; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान न हो गया हो कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह उस अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है या स्त्री है या बीमार या शिथिलांग है, यदि मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बारे में अन्वेषण तब तक नहीं करेगा जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो ।"। 1974 का 2

धारा 18 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

136. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

तलाशी और गिरफ्तारी कैसे की जाए।

"18. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी तलाशियां और इस अधिनियम के अधीन सभी गिरफ्तारियां, इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तलाशियों और गिरफ्तारियों से क्रमशः संबंधित उस संहिता के उपबंधों के अनुसार, की जाएंगी । 1974 का 2

धारा 19 का लोप ।

137. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाएगा ।

138. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 20 में,— धारा 20 का संशोधन।

(क) ''धारा 19 के अधीन'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) ''ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष'' शब्दों के पूर्व ''अधिनियम के उपबंधों के अनुसार'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

1944 का 1 **139.** (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 62 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) संशोधित हो जाएगी और पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त अधिसूचना के संबंध में उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो गई समझी जाएगी । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से उक्त अधिसूचना का संशोधन करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क
1944 का 1 अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता, यदि उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित न किया गया होता ।

140. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा । तीसरी अनुसूची का संशोधन।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 का 5 **141.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा। पहली अनुसूची का संशोधन।

142. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 54 में, टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा और 29 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:— पहली अनुसूची के अध्याय 54 के अध्याय टिप्पणों का संशोधन।

''1क. टिप्पण 1 में किसी बात के होते हुए भी, मानव निर्मित फाइबर को, जैसे प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट से, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पालिथिलीन टेरेफेथालेट बोतलें भी हैं, पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर और पोलिएस्टर फिलामेंट सूत, यथास्थिति, अध्याय 54 या अध्याय 55 के अधीन टेक्सटाइल सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।''।

(2) तारीख 29 जून, 2010 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में ''विनिर्दिष्ट अवधि'' कहा गया है) किसी समय उत्पाद-शुल्क की वसूली के लिए की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए उसी रूप में और सदैव से ही विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई है, मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

(क) ऐसे माल पर विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत सभी उत्पाद-शुल्कों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उसी रूप में और सदैव से ही विधिमान्य रूप से उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत किए गए हैं, मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ;

(ख) ऐसे सभी शुल्कों की, जो संदत्त नहीं किए गए हैं किन्तु जो उस दशा में संदत्त होते, यदि उपधारा (1) के अधीन किए गए संशोधन प्रवृत्त होते, वसूली उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय न किए जाने की दशा में, वसूल किए जाने वाले शुल्कों की रकम के अतिरिक्त ऐसे शुल्कों की रकम पर, चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से उसका संदाय किए जाने की तारीख तक, संदेय होगा ;

(ग) निर्धारिती, खंड (ख) के अधीन वसूल किए जाने वाले शुल्क की रकम की संगणना करते समय, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन अंतःनिवेशों, अंतःनिवेश सेवाओं और पूंजीगत माल पर, यदि कोई हो, शुल्क का केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय को, जिसका उसके द्वारा ऐसे माल को गैर उत्पाद-शुल्क्य या छूट प्राप्त माल माने जाने के कारण फायदा नहीं उठाया गया है, हिसाब में लेने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो उस दशा में दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं होती ।''।

अध्याय 5

सेवा कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

143. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 65 के खंड (121) के अंत में आने वाले स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक उस तारीख से अंतःस्थापित किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।";

(ख) धारा 65क की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा उस तारीख से अंतःस्थापित की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।";

(ग) धारा 65क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा उस तारीख से अंतःस्थापित की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

निर्वचन।

'65ख. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अनुयोज्य दावा" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में उसका है ; 1882 का 4

(2) "विज्ञापन" से समाचारपत्र, टेलीविजन, रेडियो या किसी अन्य साधन के माध्यम से किसी घटना, विचार, स्थावर संपत्ति, व्यक्ति, सेवा, माल या अनुयोज्य दावे के संवर्धन के लिए या उनके बारे में जागरुकता लाने के लिए किसी प्रकार का संप्रदर्शन अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से किया गया कोई संप्रदर्शन नहीं है ;

(3) "कृषि" से पौधों की खेती और घोड़ों के पालन-पोषण के सिवाय पशुओं के सभी सजीव रूपों का पालन पोषण, भोजन, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत हैं ;

(4) "कृषि विस्तार" से कृषक शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का उपयोजन अभिप्रेत है ;

(5) "कृषि उपज" से ऐसी कोई उपज अभिप्रेत है, जिस पर न तो कोई और प्रसंस्करण किया जाता है या ऐसा प्रसंस्करण किया जाता है, जैसा प्रायः खेतिहर या उत्पादक द्वारा किया जाता है, जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं को परिवर्तित नहीं करता है, किंतु उसे प्रमुख बाजार के लिए विपणनीय बना देता है ;

(6) "कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड" से कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है ;

(7) "वायुयान" का वही अर्थ है, जो वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (1) में उसका है ; 1934 का 22

(8) "विमानपत्तन" का वही अर्थ है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है ; 1994 का 55

(9) "आमोद सुविधा" से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहां कोई आमोद पार्कों, आमोद तोरणिकाओं, वाटर पार्कों, थीम पार्को या ऐसे अन्य स्थान में झूलों, खेल युक्तियों या गेंद वीथिकाओं के माध्यम से आमोद-प्रमोद और मनोरंजन किया जाता है किन्तु ऐसी सुविधा के अंतर्गत ऐसा कोई स्थल नहीं आता जहां अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं ;

(10) "अपील अधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमा- शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1962 का 52

(11) "अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है,—

(i) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचित अभिहित व्यवसायों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से संबद्ध कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा चलाया गया कोई पाठ्यक्रम ; या 1961 का 52

(ii) नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय, संघ के श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुमोदित मोड्युलर नियोजनीय कौशल पाठ्यक्रम ; या

(iii) भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से संबद्ध किसी संस्थान द्वारा चलाया जा रहा पाठ्यक्रम ;

(12) ''निर्धारिती'' से कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अभिकर्ता भी है ;

1961 का 43 (13) ''सहयोजित उद्यम'' का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में उसका है;

1999 का 42 (14) ''विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यौहारी'' का वही अर्थ होगा, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में ''प्राधिकृत व्यक्ति'' का है ;

(15) ''दांव या द्यूत'' से मूल्य वाली किसी वस्तु को, विशिष्ट रूप से धन को, जोखिम की बात को जानते हुए और लाभ की आशा से, किसी ऐसे खेल या किसी प्रतियोगिता के परिणाम पर दांव लगाना अभिप्रेत है, जिसका परिणाम भाग्य या संयोग द्वारा, या किसी बात के होने या न होने की संभावना पर अवधारित किया जाए;

1963 का 54 (16) ''बोर्ड'' से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ;

(17) ''कारबार अस्तित्व'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो साधारणतया उद्योग, वाणिज्य या किसी अन्य कारबार से संबंधित कोई क्रियाकलाप कर रहा है ;

1948 का 54 (18) ''केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

2003 का 36 (19) ''केंद्रीय पारेषण उपयोगिता'' का वही अर्थ है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड (10) में उसका है ;

(20) ''कूरियर अभिकरण'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की सेवाओं का, ऐसे दस्तावेज, माल या वस्तुएं वहन करने या उनके साथ जाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोग करते समय संवेदी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को घर-घर जाकर परिदान करने में लगा हुआ है ;

1962 का 52 (21) ''सीमाशुल्क स्टेशन'' का वही अर्थ है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (13) में उसका है ;

(22) ''घोषित सेवा'' से किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिफल हेतु किया जाने वाला और धारा 66ङ के अधीन उस रूप में घोषित कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

2003 का 36 (23) ''विद्युत पारेषण या वितरण उपयोगिता'' से विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अधिसूचित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ; कोई राज्य विद्युत बोर्ड ; केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या कोई राज्य पारेषण उपयोगिता ; या उक्त अधिनियम के अधीन कोई वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या कोई अन्य अस्तित्व अभिप्रेत है जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसा कृत्य सौंपा गया है;

(24) ''मनोरंजन घटना'' से ऐसी कोई घटना या प्रस्तुतीकरण अभिप्रेत है, जो चलचित्र फिल्म, सर्कस, संगीत समारोह, खेलकूद समारोह, शोभायात्रा, पुरस्कार समारोह, नृत्य प्रस्तुतीकरण, संगीत प्रस्तुतीकरण या थियेटर प्रस्तुतीकरण, जिसके अंतर्गत नाटक, बैले या कोई ऐसी घटना या कार्यक्रम भी है, द्वारा मनोरंजन प्रदान करने, समय व्यतीत करने, आमोद-प्रमोद या आनन्द प्रदान करने के लिए आशयित है ;

(25) ''माल'' से अनुयोज्य दावे और धन से भिन्न प्रत्येक किस्म की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत प्रतिभूतियां, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी या उसके भागरूप वस्तुएं भी हैं, जिनके बारे में विक्रय के पूर्व या विक्रय संविदा के अधीन अलग करने का करार पाया जाए ;

(26) ''माल परिवहन अभिकरण'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और परेषण पत्र, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है;

(27) ''भारत'' से अभिप्रेत है,—

(क) संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड (2) और खंड (3) में यथानिर्दिष्ट संघ का राज्यक्षेत्र ;

(ख) राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथापरिभाषित राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र ; 1976 का 80

(ग) राज्यक्षेत्रीय सागरखंड के नीचे समुद्री सतह और अवमृदा ;

(घ) उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागरखंड के ऊपर का आकाशी क्षेत्र ; और

(ङ) खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन और उसके प्रदाय के प्रयोजनों के लिए, भारत की महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित प्रतिष्ठापन, अवसंरचनाएं तथा जलयान ;

(28) ''सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर'' से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या प्रतिमा का कोई रूपण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसा स्रोत कोड या वस्तुनिष्ठ कोड भी है, जो किसी मशीन में पठनीय रूप में रिकार्ड किया गया हो और जो हस्तप्रयोग किए जाने या उपयोगकर्ता को परस्पर-सक्रियता किसी कंप्यूटर या स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के माध्यम में उपलब्ध कराने में समर्थ हो ;

(29) ''अंतर्देशीय जलमार्ग'' से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित राष्ट्रीय जलमार्ग या अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित किसी अंतर्देशीय जल पर अन्य जलमार्ग अभिप्रेत है ; 1985 का 82 1917 का 1

(30) ''ब्याज'' का वही अर्थ है, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (28क) में उसका है ; 1961 का 43

(31) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है,—

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट कोई पंचायत ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट कोई नगरपालिका ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति या कोई जिला बोर्ड जो किसी नगरपालिक या स्थानीय निधि के ऐसे नियंत्रण या प्रबंध के लिए विधिक रूप से हकदार है या जो उसे सरकार द्वारा सौंपा गया है ;

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई छावनी बोर्ड ; 2006 का 41

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

(32) ''मीटर वाली कैब'' से ऐसी कोई ठेका गाड़ी अभिप्रेत है, जिस पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन अनुमोदित किस्म और बनावट की ऐसी स्वचालित युक्ति लगाई गई है जो किसी भी क्षण प्रभार्य किराए की रीडिंग उपदर्शित करती है और जो मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके परमिट की शर्तों के अधीन तदनुसार प्रभारित किया जाता है ; 1988 का 59

(33) ''धन'' से भारतीय वैध मुद्रा, चेक, वचनपत्र, विनिमयपत्र, प्रत्ययपत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चेक, धनादेश, डाक या इलैक्ट्रानिक संप्रेषण या कोई ऐसी समान लिखत अभिप्रेत है जब उसका प्रयोग किसी बाध्यता को तय करने या किसी अन्य अभिधान की भारतीय वैध मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी कोई करेंसी नहीं होगी, जो उसके मौद्रिक मूल्य के लिए धारित की गई है;

(34) ''नकारात्मक सूची'' से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो धारा 66घ के अधीन सूचीबद्ध हैं ;

(35) ''अकराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है ;

(36) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है, और ''अधिसूचित करना'' तथा ''अधिसूचित'' पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(37) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) व्यष्टि,

(ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब,

(iii) कंपनी,

(iv) सोसाइटी,

(v) सीमित दायित्व भागीदारी,

(vi) फर्म,

(vii) व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं,

(viii) सरकार,

(ix) स्थानीय प्राधिकारी, या

(x) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती किसी भी उपखंड के भीतर नहीं आता है ;

1963 का 38 (38) ''पत्तन'' का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (थ) में या भारतीय
1908 का 15 पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (4) में उसका है ;

(39) ''विहित'' से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(40) ''माल के विनिर्माण या उत्पादन की कोटि में आने वाली प्रक्रिया'' से ऐसी प्रक्रिया, जिस पर केंद्रीय
1944 का 1 उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क उद्‌ग्रहणीय है या मानव उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर, अफीम, भारतीय हैम्प और अन्य स्वापक ओषधियों और स्वापक वस्तुओं के निर्माण कोटि में आने वाली कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिस पर उत्पाद-शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन उद्‌ग्रहणीय है ;

(41) ''किराए पर देना'' से किसी स्थावर संपत्ति तक पहुंच, उसमें प्रवेश, उसके अधिभोग, उपयोग या किसी ऐसी सुविधा को, उक्त स्थावर संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण का अंतरण करके या उसके बिना पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात करना, उसकी अनुमति देना या मंजूरी प्रदान करना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति के संबंध में किराए पर देना, पट्टे पर देना, अनुज्ञप्ति पर देना या इसी प्रकार के अन्य ठहराव करना भी है ;

1934 का 2 (42) ''भारतीय रिजर्व बैंक'' से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन स्थापित बैंक अभिप्रेत है ;

1956 का 42 (43) ''प्रतिभूतियां'' का वही अर्थ है जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ;

(44) ''सेवा'' से किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिफल हेतु किया गया कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई घोषित सेवा भी है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं होंगे,—

(क) ऐसा कोई क्रियाकलाप, जिससे मात्र,—

(i) माल या स्थावर संपत्ति में विक्रय द्वारा, दान के रूप में या किसी अन्य रीति में हक के अंतरण का गठन होता है ; या

(ii) धन या अनुयोज्य दावे के संव्यवहार का गठन होता है ;

(ख) किसी कर्मचारी द्वारा नियोजक को उसके नियोजन के प्रक्रम में या उसके संबंध में सेवा का कोई उपबंध ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण में ली गई कोई फीस।

स्पष्टीकरण 1 —शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

(अ) ऐसे संसद् सदस्यों, राज्य विधान-मंडल के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिका के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा, जो ऐसे सदस्य के रूप में उस पद के कृत्यों का पालन करने में कोई प्रतिफल प्राप्त करते हैं, पालन किए गए कृत्य ; या

(आ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो संविधान के उपबंधों के अनुसरण में उस हैसियत में कोई पद धारण करता है, पालन किए गए कर्तव्य ; या

(इ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित किसी निकाय में अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे इस धारा के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में नहीं समझा जाता है, पालन किए गए कर्तव्य;

स्पष्टीकरण 2—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) यथास्थिति, किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति-निकाय और उसके किसी सदस्य को, सुभिन्न व्यक्ति समझा जाएगा ;

(ख) कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति के स्थापन और किसी अकराधेय राज्यक्षेत्र में उसके किसी अन्य स्थापन को सुभिन्न व्यक्तियों का स्थापन समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3—किसी राज्यक्षेत्र में किसी शाखा या अभिकरण या प्रतिनिधिक कार्यालय के माध्यम से कारबार करने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उस राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है ।

(45) ''विशेष आर्थिक जोन'' का वही अर्थ है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है ; 2005 का 28

(46) ''मंजिली गाड़ी'' का वही अर्थ है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (40) में उसका है ; 1988 का 59

(47) ''राज्य विद्युत बोर्ड'' से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है; 1948 का 54

(48) ''राज्य पारेषण उपयोगिता'' का वही अर्थ है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड (67) में उसका है ; 2003 का 36

(49) ''सहायक सेवाओं'' से अवसंरचना संबंधी, प्रचालन संबंधी, प्रशासनिक, संभार तंत्र संबंधी, विपणन या किसी प्रकार की कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है, जिसमें वे कृत्य हैं जो वह अस्तित्व प्रचालन के सामान्य अनुक्रम में स्वयं करते हैं किंतु जिन्हें वे किसी भी प्रकार के कारण से, दूसरों से आऊटसोर्सिंग करके सेवाओं के रूप में अभिप्राप्त कर सकते हैं और इसके अंतर्गत विज्ञापन और संवर्धन, सन्निर्माण या संकर्म संविदा, स्थावर संपत्ति को किराए पर देना, सुरक्षा, परीक्षण और विश्लेषण भी आएगा;

(50) ''कर'' से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर अभिप्रेत है ;

(51) ''कराधेय सेवा'' से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है, जिस पर धारा 66ख के अधीन सेवा कर उद्ग्रहणीय है;

(52) ''कराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अध्याय के उपबंध लागू होते हैं ;

(53) ''जलयान'' का वही अर्थ है, जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (य) में उसका है ; 1963 का 38

(54) ''संकर्म संविदा'' से ऐसी संविदा अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल में संपत्ति का अंतरण माल के विक्रय के रूप में कर से उद्ग्रहणीय है और ऐसी संविदा भूमि पर किसी भवन या संरचना के निर्माण, परिनिर्माण, सन्निर्माण कार्य आरंभ करने, अधिष्ठापन, पूर्ण करने, फिटिंग, सुधार, मरम्मत, नवीकरण, परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए या भूमि पर किसी भवन या संरचना के संबंध में उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप या उसका कोई भाग करने के लिए है ;

(55) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त किए गए हैं, किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किए गए हैं, जहां तक हो सके, सेवा कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ; 1944 का 1

(घ) धारा 66 में निम्नलिखित परंतुक, उस तारीख से अंतःस्थापित किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

''परंतु इस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।'';

(ङ) धारा 66क की उपधारा (2) के अंत में आने वाले स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, उस तारीख से अंतःस्थापित की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, अर्थात् :—

http://indiabudget.nic.in

"(3) इस धारा के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।';

(च) धारा 66क के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं, उस तारीख से अंतःस्थापित की जाएंगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, अर्थात् :—

"66ख. कराधेय राज्यक्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए करार पाई गई सभी सेवाओं के, उन सेवाओं से भिन्न जो नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट हैं, मूल्य पर बारह प्रतिशत की दर से कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा कर कहा गया है) उद्‌गृहीत किया जाएगा और उस रीति में संगृहीत किया जाएगा, जो विहित की जाए । वित्त अधिनियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख को और उसके पश्चात् सेवा कर का प्रभार ।

66ग. (1) केंद्रीय सरकार, विभिन्न सेवाओं की प्रकृति और वर्णन को ध्यान में रखते हुए, इस बारे में बनाए गए नियमों द्वारा उस स्थान का अवधारण कर सकेगी जहां सेवाएं प्रदान की जाती हैं या प्रदान की गई समझी गई हैं या प्रदान किए जाने के लिए करार पाई गई हैं या प्रदान किए जाने के लिए करार पाई गई समझी गई हैं । सेवा के उपबन्ध के स्थान का अवधारण।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया कोई नियम मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि सेवा प्रदाता या सेवा प्रापक या दोनों, ऐसे स्थान में अवस्थित हैं, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है ।

66घ. नकारात्मक सूची में निम्नलिखित सेवाएं समाविष्ट होंगी, अर्थात् :— सेवाओं की नकारात्मक सूची।

(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवाएं, निम्नलिखित सेवाओं को उस सीमा तक, जहां तक वे और कहीं नहीं आती हैं, छोड़कर —

(i) डाक विभाग द्वारा सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदान की गई स्पीड पोस्ट, एक्सप्रैस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा के रूप में सेवाएं और अभिकरण सेवाएं ;

(ii) किसी पत्तन या विमान पत्तन की प्रसीमाओं के भीतर या बाहर किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में सेवाएं ;

(iii) माल या यात्रियों का परिवहन ; या

(iv) कारबार अस्तित्वों को, ऊपर खंड (i) से खंड (iii) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं से भिन्न, प्रदान की गई सहायक सेवाएं ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी सेवाएं ;

(ग) भारत में अवस्थित किसी विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा सेवाएं ;

(घ) निम्नलिखित के रूप में कृषि से संबंधित सेवाएं,—

(i) खेती, फसल, खलिहान, वनस्पति संरक्षण या बीज परीक्षण सहित किसी कृषि उपज के उत्पादन से सीधे संबंधित कृषि कार्य ;

(ii) फार्म श्रमिक का प्रदाय ;

(iii) किसी कृषि फर्म में की गई संक्रियाएं, जिनके अंतर्गत देखभाल, छंटाई, जुताई, फसल काटना, सुखाना, सफाई करना, कतरना, धूप में सुखाना, धूमन, सहेजना, सोर्टिंग, श्रेणीकरण, प्रशीतन या प्रपुंज पैंकिग और ऐसे ही सामान्य कार्य, जो कृषि उपज की अनिवार्य विशेषता को परिवर्तित नहीं करते हैं, किंतु उसे प्रमुख बाजार के लिए केवल विपणनीय बना देते हैं ;

(iv) कृषि मशीनरी या खाली भूमि को, उसके उपयोग के लिए संलग्न किसी संरचना के साथ या उसके बिना, किराए पर देना ;

(v) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैक करना, भंडारण और भांडागारण ;

(vi) कृषि विस्तार सेवाएं ;

(vii) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं या कमीशन अभिकर्ता द्वारा कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए सेवाएं ;

(ङ) माल का लेन-देन ;

(च) कोई संक्रिया, जो माल के निर्माण या उत्पादन की कोटि में आती है ;

(छ) रेडियो या टेलीविजन द्वारा विज्ञापन प्रसारित करने से भिन्न विज्ञापन संबंधी स्थान या समय-स्लाट का विक्रय ;

(ज) किसी सड़क या पुल पर पथ-कर प्रभार के संदाय पर पहुंच के रूप में सेवा ;

(झ) दांव, द्यूत या लाटरी ;

(ञ) मनोरंजन संबंधी खेलों में प्रवेश या आमोद संबंधी सुविधाओं तक पहुंच ;

(ट) विद्युत पारेषण या वितरण उपयोक्ता द्वारा विद्युत का पारेषण या वितरण ;

(ठ) निम्नलिखित के रूप में सेवाएं—

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक की या समतुल्य शिक्षा ;

(ii) शिक्षा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए एक विहित पाठ्यक्रम के भागरूप हो ;

(iii) शिक्षा, जो किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम के भागरूप हो ;

(ड) निवास के रूप में उपयोग के लिए किसी निवास-स्थान को किराए पर देने सम्बन्धी सेवाएं;

(ढ) निम्नलिखित के रूप में सेवाएं,—

(i) जहां तक प्रतिफल, ब्याज या डिस्काउंट के रूप में होता है, निक्षेप, उधार या अग्रिम देना ;

(ii) ऐसे बैंकों या विदेशी विनिमय के उन प्राधिकृत व्यौहारियों के बीच, या बैंकों और ऐसे व्यौवहारियों के बीच विदेशी करेंसी का परस्पर क्रय या विक्रय ;

(ण) निम्नलिखित द्वारा यात्रियों के साथ ले जा रहे सामान के साथ या उसके बिना अभिवहन की सेवा,—

(i) किसी मंजिली गाड़ी द्वारा ;

(ii) रेल द्वारा निम्नलिखित से भिन्न किसी श्रेणी में, —

(अ) प्रथम श्रेणी ; या

(आ) वातानुकूलित कोच ;

(iii) मेट्रो, मोनोरेल या ट्राम द्वारा ;

(iv) अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ;

(v) पन्द्रह टन से कम शुद्ध भार के किसी जलयान में मुख्यतया पर्यटन प्रयोजन से भिन्न सार्वजनिक परिवहन द्वारा ; और

(vi) मीटर वाली कैब, रेडियो-टैक्सी या आटो रिक्शा द्वारा ;

(त) माल के अभिवहन के रूप में सेवाएं—

(i) (अ) किसी माल अभिवहन अभिकरण ; या

(आ) कूरियर अभिकरण,

के सिवाय, सड़क द्वारा ;

(ii) भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में उतराई के प्रथम सीमाशुल्क स्टेशन पर किसी वायुयान या जलयान द्वारा ;

(iii) अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ;

(थ) अंत्येष्टि, कब्रस्थान, शवदाहगृह या शवगृह सेवाएं, जिसके अंतर्गत मृतक का अभिवहन भी है ।"।

घोषित सेवाएं।

66ङ. निम्नलिखित से घोषित सेवाओं का गठन किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) किसी काम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का सन्निर्माण, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई काम्प्लेक्स या भवन भी है, जिसका पूर्णतया या भागतः क्रेता को विक्रय किया जाना आशयित है, सिवाय उस दशा के, जहां कि संपूर्ण प्रतिफल सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् प्राप्त किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए —

(I) "सक्षम प्राधिकारी" पद से ऐसी सरकार या कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसे प्राधिकारी से ऐसे प्रमाणपत्र की अपेक्षा न होने की दशा में निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(अ) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् में रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् ; या 1972 का 20

(आ) इंजीनियर संस्था (भारत) में रजिस्ट्रीकृत चार्टरित इंजीनियर ; या

(इ) नगर या शहर या ग्राम या विकास या योजना प्राधिकरण के संबंधित स्थानीय निकाय का अनुज्ञप्त सर्वेक्षक ।

(II) ''सन्निर्माण'' पद के अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल ढांचे की बाबत किए गए परिवर्धन, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण भी हैं ;

(ग) किसी बौद्धिक संपदा अधिकार का अस्थायी अंतरण या उसका उपयोग या अधिभोग अनुज्ञात करना ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अनुकूलन, उन्नयन, वृद्धिकरण, कार्यान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत रहने की बाध्यता के या किसी कार्य या परिस्थिति को सहन करने या किसी कार्य को करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के प्रति सहमत होना ;

(च) किराए पर, पट्टे पर, अनुज्ञप्ति देकर या ऐसे माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण किए बिना ऐसी किसी रीति में माल का अंतरण ;

(छ) अवक्रय पर या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी पद्धति द्वारा माल के परिदान से संबंधित क्रियाकलाप ;

(ज) किसी संकर्म संविदा के निष्पदान में सेवा का प्रभाग;

(झ) किसी ऐसे क्रियाकलाप में का सेवा प्रभाग जिसमें माल का, जो खाद्य वस्तु या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे मादक पेय हो या नहीं) हो, क्रियाकलाप के भाग रूप किसी रीति में प्रदाय किया जाता है ।

सेवाओं या समूहबद्ध सेवाओं के विनिर्दिष्ट वर्णनों का निर्वचन करने के सिद्धान्त।

66च. (1) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, किसी सेवा के प्रतिनिर्देश (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुख्य सेवा कहा गया है) के अंतर्गत ऐसी सेवा के प्रतिनिर्देश नहीं आएगा, जिसका उपयोग मुख्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ।

(2) जहां किसी सेवा को, उसके वर्णन के आधार पर किसी प्रयोजन के लिए सुभिन्न रूप से बरता जा सकता है, वहां अत्यंत विनिर्दिष्ट वर्णन को अति सामान्य वर्णन पर अधिमान दिया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समूहबद्ध सेवाओं की कराधेयता का निम्नलिखित रीति में अवधारण किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि ऐसी सेवा के विभिन्न तत्त्व कारबार के सामान्य अनुक्रम में सहजरूप से समूहबद्ध कर दिए जाते हैं, तो उसे एकल सेवा का उपबंध माना जाएगा, जिससे उसका अनिवार्य स्वरूप प्रकट होता है;

(ख) यदि ऐसी सेवा के विभिन्न तत्त्व कारबार के सामान्य अनुक्रम में सहजरूप से समूहबद्ध नहीं कर दिए जाते हैं, तो उसे एकल सेवा का उपबंध माना जाएगा, जिसकी परिणति सेवा कर के उच्चतम दायित्व में होती है ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, ''समूहबद्ध सेवा'' से विभिन्न सेवाओं का उपबंध अभिप्रेत है, जिसमें सेवाओं के एकल सेवा के उपबंध के तत्त्व को किसी अन्य सेवा या सेवाओं के अन्य उपबंध के तत्त्व या तत्त्वों से मिला दिया जाता है ।';

(छ) धारा 67 के स्पष्टीकरण में, खंड (ख) का उस तारीख से लोप किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ज) धारा 67 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर की दर, कराधेय सेवा के मूल्य और विनिमय दर के अवधारण की तारीख।

'67क. सेवा कर की दर, कराधेय सेवा का मूल्य और विनिमय दर, यदि कोई हो, उस समय, जब कराधेय सेवाओं को उपलब्ध कराया गया है या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाया गया है, प्रवृत्त या यथा लागू, यथास्थिति, सेवा कर की दर या कराधेय सेवा का मूल्य या विनिमय दर होगी।

1962 का 52

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''विनिमय दर'' से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट विनिमय दर अभिप्रेत है ।';

(झ) धारा 68 की उपधारा (2) में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(i) ''अधिसूचित कराधेय सेवा'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी कराधेय सेवा, जो अधिसूचित की जाए,'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु केंद्रीय सरकार, उस सेवा और सेवा कर की सीमा को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा और इस अध्याय के उपबंध ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा तक लागू होंगे और सेवा कर का शेष भाग सेवा प्रदाता द्वारा संदत्त किया जाएगा ।'';

(ञ) धारा 72 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विशेष संपरीक्षा।

'72क. (1) यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त का यह विश्वास करने का कारण है कि सेवा कर के संदाय के लिए दायी कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ऐसा व्यक्ति' कहा गया है)—

(i) कराधेय सेवा का मूल्य सही रूप से घोषित करने या अवधारित करने में असफल रहा है ; या

(ii) उसने संदत्त ऐसे शुल्क या कर प्रत्यय का,—

(क) लाभ उठाया है और उपयोग किया है, जो उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा की प्रकृति, प्रयुक्त पूंजी माल की सीमा या निवेशों या प्रयुक्त निवेश सेवाओं की किस्म को या किन्हीं अन्य सुसंगत कारकों को, जो वह उपयुक्त समझे, ध्यान में रखते हुए सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है; या

(ख) कपट, दुरभिसंधि या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर लाभ उठाया गया है या उपयोग किया गया है ; या

(iii) उसने अनेक अवस्थानों में अपनी संक्रियाओं का प्रसार किया है और उक्त आयुक्त की अधिकारिता के अधीन आने वाले रजिस्ट्रीकृत परिसरों से उसके लेखाओं की सही और संपूर्ण जानकारी अभिप्राप्त करना संभाव्य या साध्य नहीं है,

तो वह ऐसे व्यक्ति को अपने लेखाओं की उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से उस सीमा तक और ऐसी अवधि तक के लिए, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संपरीक्षा कराए जाने का निदेश दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल उक्त आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त आयुक्त को, उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों का, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, वर्णन करते हुए प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का इस बात के होते हुए भी यह प्रभाव होगा कि ऐसे व्यक्ति के लेखाओं की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा करा ली गई है ।

(4) कर का संदाय करने के लिए दायी ऐसे व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा के आधार पर एकत्र की गई की बाबत और इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी कार्यवाही में उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी सामग्री की बाबत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" का वही अर्थ होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उसका है ; 1949 का 38

(ii) "लागत लेखापाल" का वही अर्थ होगा, जो लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उसका है ।' ; 1959 का 23

(ट) धारा 73 में,—

(i) "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अठारह मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, उस उपधारा के अधीन तामील की गई किसी सूचना या सूचनाओं के पश्चात्, एक विवरण, जिसमें पश्चात्वर्ती अवधि के लिए उद्गृहीत न किया गया या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत या कम संदत्त या भूलवश प्रतिदत्त सेवा कर के ब्यौरे हों, सेवा कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा, तब ऐसे विवरण की तामील को उस व्यक्ति पर सूचना की इस शर्त के अधीन रहते हुए तामील किया गया समझा जाएगा कि पश्चात्वर्ती अवधि के संबंध में जिन आधारों का अवलंब लिया गया है, वे पूर्ववर्ती सूचनाओं में वर्णित के समान हैं ।";

(iii) उपधारा (4क) में, "उपधारा (3) और उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ठ) धारा 80 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) धारा 76 या धारा 77 या धारा 78 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, तारीख 6 मार्च, 2012 को, धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययय्य) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा पर संदेय सेवा कर का संदाय करने में असफल रहने के लिए कोई शास्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिरोपणीय नहीं होगी कि सेवा कर की रकम का ब्याज सहित, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर पूर्णतः संदाय कर दिया जाता है ।";

(ड) धारा 83 में, "12ङ, 14, 14कक, 15, 33क, 34क, 35च" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "12ङ, 14, 15, 31, 32, 32क से 35त (दोनों सहित), 33क, 34क, 35ङङ, 35च" अंक, अक्षर, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ढ) धारा 85 में,—

(i) उपधारा (3) में, "विनिश्चय या आदेश की" शब्दों के पश्चात्, "जो उस तारीख के, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व किया जाता है," शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) इस अध्याय के अधीन सेवा कर, ब्याज या शास्ति से संबंधित कोई अपील ऐसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की, जो उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी दो मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।";

(ण) धारा 86 में,—

(i) उपधारा (1) में "ऐसे आदेश के विरुद्ध" शब्दों के पश्चात् "उस आदेश के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से चार मास के भीतर फाइल की जाएगी, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की ईप्सा की गई है, यथास्थिति, मुख्य आयुक्तों की समिति या आयुक्तों की समिति द्वारा प्राप्त किया जाता है ।";

(त) धारा 88 में, "शुल्क," शब्द के स्थान पर, "कर," शब्द रखा जाएगा ;

(थ) धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड उस तारीख से रखा जाएगा, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अर्थात् :—

"(क) इस अध्याय के अधीन सेवा कर का संदाय करने में जानबूझकर अपवंचन करता है ; या";

(द) धारा 93क में, "प्रसंस्करण के लिए" शब्दों के स्थान पर, "प्रसंस्करण या हटाए जाने या निर्यात के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ध) धारा 93क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 93ख का अंतःस्थापन।

"93ख. धारा 94 के अधीन बनाए गए और कराधेय सेवाओं को लागू होने वाले सभी नियम किसी अन्य सेवा को भी लागू होंगे जहां तक वे अंतःनिवेशों और अंतःनिवेश सेवाओं पर संदत्त किसी कर दायित्व, प्रतिदाय, सेवा कर या शुल्कों के क्रेडिट का अवधारण करने या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए सुसंगत हैं ।"; धारा 94 के अधीन बनाए गए नियमों का कराधेय सेवाओं से भिन्न सेवाओं को लागू होना।

1994 का 32

(न) धारा 94 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (डड) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (जजज) में, "सेवा कर की दर" शब्दों के स्थान पर "धारा 66ग के अधीन सेवा कर की दर" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (झ) को खंड (ट) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (ट) के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) अपराधों के प्रशमन के लिए संदत्त की जाने वाली रकम और प्रशमन की रीति का उपबंध ;

(ञ) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 5 में धारा 31, धारा 32, धारा 32क से धारा 32त (दोनों सहित) के अनुसार, जो धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई हैं, मामलों का निपटारा करने के लिए उपबंध ;"; 1944 का 1

(प) धारा 95 की उपधारा (1ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1झ) यदि वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 143 को, जहां तक यह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में धारा 65ख, धारा 66ख, धारा 66ग, धारा 66घ, धारा 66ङ और धारा 66च के अंतःस्थापन के संबंध में है, प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे उपबंध, उस तारीख से, जिसके अंतर्गत भूतलक्षी तारीख से, जो वित्त अधिनियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व की तारीख न हो, प्रभाव देने की शक्ति भी है, कर सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों: 1994 का 32

परंतु ऐसा कोई आदेश इन उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।";

(फ) धारा 96ग की उपधारा (2) के खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) इस बारे में बनाए गए नियमों के निबंधनों के अनुसार शुल्क या कर प्रत्यय की ग्राह्यता ;";

नई धारा 97 और धारा 98 का अन्तः-स्थापन।

(ब) धारा 96ञ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

सड़कों के प्रबंधन आदि से संबंधित कतिपय मामलों में छूट के लिए विशेष उपबंध।

"97. (1) धारा 66 में किसी बात के होते हुए भी, 16 जून, 2005 से 26 जुलाई, 2009 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी हैं) की अवधि के दौरान सड़कों के प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत की बाबत कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किंतु इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(3) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

गैर-वाणिज्यिक सरकारी भवनों के प्रबन्धन आदि से संबंधित कतिपय मामलों में छूट के लिए विशेष उपबंध।

98. (1) धारा 66 में किसी बात के होते हुए भी, 16 जून, 2005 से ही उस तारीख तक, जिसको धारा 66ख प्रवृत्त होती है, की अवधि के दौरान गैर-वाणिज्यिक सरकारी भवनों के प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत की बाबत कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किंतु इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(3) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।"।

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 का संशोधन।

144. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में, केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2011 के, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 134(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, नियम 5 के खंड (ix) द्वारा यथा अंतःस्थापित नियम 6 का उपनियम (6क), आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के प्रति संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा । 1944 का 1

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में 10 फरवरी, 2006 से ही की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए उसी रूप में विधिमान्य और प्रभावी रूप से की गई समझी जाएगी और सदैव से की गई समझी जाएगी, मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 के अधीन भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी । 1944 का 1

किसी परियोजना के सम्बन्ध में सहकारी सोसाइटियों सहित क्लब या संगम को दी गई छूट का विधिमान्यकरण।

1994 का 32

145. (1) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 566(अ), तारीख 25 जुलाई, 2011, जिसके द्वारा किसी क्लब या किसी संगम द्वारा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियां भी हैं, परियोजना के संबंध में प्रदान की गई उक्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (यययड) में निर्दिष्ट क्लब या संगम सेवा पर उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान की गई है, सभी प्रयोजनों के लिए सभी तात्त्विक समयों पर 16 जून, 2005 से ही विधिमान्य रूप से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और सदैव से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो इस प्रकार उस दशा में संगृहीत न किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

1994 का 32

(3) वित्त अधिनियम, 1994 में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(i) परियोजना से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से बहिःस्राव और ठोस अपशिष्ट के उपचार और पुनःचक्रण के लिए गठित समान सुविधा अभिप्रेत है ;

1944 का 1

(ii) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ख के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदायों की दशा में लागू होंगे ।

अध्याय 6

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का संशोधन

2003 का 39

धारा 2 का संशोधन।

146. राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "वास्तविक राजस्व घाटे" से राजस्व घाटे और पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के बीच का अंतर अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खख) "पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान" से केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, सांविधानिक प्राधिकरणों या निकायों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और ऐसी पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अन्य स्कीम कार्यान्वयन अभिकरणों को, जो उक्त इकाइयों के स्वामित्वाधीन हैं, दिया गया सहायता अनुदान अभिप्रेत है ;'।

147. राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 3 में,—

धारा 3 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में, "अनुदान मांगों" शब्दों के स्थान पर, "मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण के सिवाय अनुदान मांगों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट विवरणों के साथ अंतर्निहित धारणाओं के विस्तृत विश्लेषण वाला मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण होगा ।

(1ख) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण को संसद् के उस सत्र के, जिसमें खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट नीति संबंधी विवरणों को उपधारा (1) के अधीन रखा जाता है, ठीक आगामी सत्र में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी ।";

(ग) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6क) (क) मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण में अंतर्निहित धारणाओं और अंतर्वलित जोखिम के विनिर्देश वाले विहित व्यय संकेतकों के लिए एक तीन वर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित होगा ।

(ख) विशिष्टतया और खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा—

(i) प्रमुख नीति परिवर्तनों की, जिनमें नई सेवा, सेवा के नए साधन, नई स्कीमें और कार्यक्रम अंतर्वलित हैं, व्यय प्रतिबद्धता ;

(ii) स्पष्ट समाश्रित दायित्व, जो बहुवर्षीय समय-सीमा के लिए अनुबंधित वार्षिकी संदायों के रूप में हैं ;

(iii) पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों का अलग-अलग विस्तृत ब्यौरा ।';

(घ) उपधारा (7) में "राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण" शब्दों के स्थान पर, "राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन।

148. राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) केंद्रीय सरकार, राजवित्तीय घाटे, राजस्व घाटे तथा वास्तविक राजस्व घाटे को कम करने के लिए ऐसे समुचित उपाय करेगी, जिससे 31 मार्च, 2015 तक वास्तविक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके और तत्पश्चात् पर्याप्त वास्तविक राजस्व अधिशेष का निर्माण किया जा सके और उसके पश्चात् जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, राजस्व घाटे को 31 मार्च, 2015 तक और उसके पश्चात् सकल देशी उत्पाद के दो प्रतिशत से अनधिक तक भी लाया जा सके।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) "राजवित्तीय घाटे और राजस्व घाटे" शब्दों के स्थान पर, "राजवित्तीय घाटे, राजस्व घाटे और वास्तविक राजस्व घाटे" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "31 मार्च, 2009" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2015" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) पहले परंतुक में, "राजस्व घाटा" शब्दों के पश्चात् ", वास्तविक राजस्व घाटा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 7क का अंतःस्थापन।

149. राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पुनर्विलोकन रिपोर्टों का रखा जाएगा।

"7क. केंद्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन का, ऐसे आवधिक रूप से, जो अपेक्षित हो, पुनर्विलोकन करने के लिए, न्यस्त कर सकेगी और ऐसे पुनर्विलोकनों को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा ।"।

धारा 8 का संशोधन।

150. राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) धारा 3 की उपधारा (6क) के खंड (क) के अधीन अंतर्निहित धारणाओं और अंतर्वलित जोखिमों के विनिर्देशों सहित व्यय संकेतक ;

(ii) खंड (ग) में, "राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण" शब्दों के स्थान पर, "राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन 31 मार्च, 2015 के पश्चात् विनिर्दिष्ट किए जाने वाला राजस्व घाटे का प्रतिशत ;"।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

1974 के अधिनियम 47 की अनुसूची का संशोधन।

151. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की अनुसूची में, कच्चे तेल से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 3 में की प्रविष्टि के स्थान पर ''चार हजार पांच सौ रुपए प्रति टन'' प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2001 के अधिनियम 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन।

152. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का (वित्त अधिनियम, 2005 की बारहवीं अनुसूची द्वारा यथा प्रतिस्थापित), नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा । 2005 का 18

153. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की सारणी में, 1 जुलाई 2012 से,—

2004 के अधिनियम 23 की धारा 98 का संशोधन।

(i) क्रम सं. 1 के सामने, दर से सम्बधित स्तंभ (3) के अधीन "0.125 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "0.1 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम सं. 2 के सामने, दर से सम्बधित स्तंभ (3) के अधीन "0.125 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "0.1 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

154. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2005 के अधिनियम 18 की सातवीं अनुसूची का संशोधन।

155. वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 73 की उपधारा (2) में, "अंतःनिवेश समझे जाने वाले" शब्दों के स्थान पर "अंतःनिवेश या अंतःनिवेश सेवाएं, समझे जाने वाले" शब्द रखे जाएंगे और 8 मई, 2010 से रखे गए समझे जाएंगे ।

2010 के अधिनियम 14 का संशोधन।

156. वित्त अधिनियम, 2011 में, उस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से—

2011 के अधिनियम 8 का संशोधन।

(i) धारा 73 में,—

(अ) आरंभिक भाग में, "(जिसे इमसें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) में,—

(क) "पहली अनुसूची का,—" कोष्ठकों, शब्दों और अक्षर के स्थान पर "में, पहली अनुसूची का,—" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(आ) "(ख) तीसरी अनुसूची का बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।" कोष्ठक, अक्षर और शब्द पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 70क के शीर्ष "उत्पाद-शुल्क" के नीचे अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) बारहवीं अनुसूची में, "[धारा 73(ख) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और सदैव से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"[धारा 70क देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—" ।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 127, खंड 128, खंड 140, खंड 141 और खंड 151 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II), मद (III) और मद (IV) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	32,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	92,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	31,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	91,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	25,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	85,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(IV) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	60,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगीः—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—	

	आय-कर की दर
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर [जो धारा 194ठख और धारा 194ठग में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(ए) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है,--	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ)	

में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर [जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—	
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] —	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(ix) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, ''विनिधान से आय'' और ''अनिवासी भारतीय'' के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में क्रमशः उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

इस भाग की मद 2(ख) के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त की जाने वाली संभावित आय या ऐसी आय का योग, और एक करोड़ रुपए की कटौती के अधीन रहते हुए, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और ''अग्रिम कर'' की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय ''अग्रिम कर'' की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या ''अग्रिम कर'' [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ''अग्रिम कर'' नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखङ या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे ''अग्रिम कर'' पर, जहां कहीं लागू हो, अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	30,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,30,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	25,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,25,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 10,00,000 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; या

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से, —

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवयकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में,—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है, वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्‌गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 125 देखिए)

मद का वर्णन और उसके संबंध में छूट	प्रभाव की अवधि
(1)	(2)
विदेश जाने वाले जलयान	1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 तक

स्पष्टीकरण— इस छूट के प्रयोजन के लिए "विदेश जाने वाले जलयान" का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 के खंड (21) में उसका है ।

http://indiabudget.nic.in

तीसरी अनुसूची

(धारा 127 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में, स्तंभ (2) में, टैरिफ मद 2402 20 10, 2402 20 20, 2402 20 30 और 2402 20 40 के सामने आने वाली प्रविष्टि में "60 मिलीमीटर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "65 मिलीमीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(2) अध्याय 26 में, शीर्ष 2601 के उपशीर्ष 2601 11 में, टैरिफ मद 2601 11 10 से 2601 11 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिभारी-क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"--- लौह अयस्क प्रपिंडक (60% एफई या अधिक):			
2601 11 11	---- 60% एफई या अधिक किंतु 62% एफई से कम	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 12	---- 62% एफई या अधिक किंतु 65% एफई से कम	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 19	---- 65% एफई और अधिक	कि.ग्रा.	10%	-
	--- लौह अयस्क प्रपिंडक (60% एफई से कम, जिसके अंतर्गत 10% एमएन तक युक्त काला लौह अयस्क भी है):			
2601 11 21	---- 55% एफई से कम	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 22	---- 55% एफई या अधिक किंतु 58% एफई से कम	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 29	---- 58% एफई या अधिक किंतु 60% एफई से कम	कि.ग्रा.	10%	-
	--- लौह अयस्क परिष्कृत (62% एफई या अधिक):			
2601 11 31	---- 62% एफई या अधिक किंतु 65% एफई से कम	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 39	---- 65% एफई और अधिक	कि.ग्रा.	10%	-
	--- लौह अयस्क परिष्कृत (62% एफई से कम):			
2601 11 41	---- 55% एफई से कम	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 42	---- 55% एफई या अधिक किंतु 58% एफई से कम	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 43	---- 58% एफई या अधिक किंतु 60% एफई से कम	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 49	---- 60% एफई या अधिक किंतु 62% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 50	--- लौह अयस्क सांद्र	कि.ग्रा.	10%	-
2601 11 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-"

http://indiabudget.nic.in

(3) अध्याय 48 में, टिप्पण 12 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"13. टिप्पण 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शीर्ष 4811, 4816 या 4820 के कागज और कागज उत्पाद किसी लिपि, नाम, लोगो, मोटिफ या रूपविधान के साथ मुद्रित किए जाते हैं, तो जहां तक उत्पाद आगे और मुद्रण या लेखन के लिए आशयित हैं, वे अपने-अपने शीर्षों के अधीन वर्गीकृत के रहेंगे।" ;

(4) अध्याय 74 में, शीर्ष 7404 में,—

(क) टैरिफ मद 7404 00 12 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आईएसआरआई कोड शब्द 'पाल्मस'" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"आईएसआरआई कोड शब्द 'पाल्मस' ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ड्रोव' के अंतर्गत आने वाले प्रकीर्ण ताम्र-मिश्रित मंथन, घर्षण, भस्म, लोहीय पीतल और ताम्र, अवशेष तथा धातुमल ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ड्रुइड' के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के विद्युतरोधनों सहित ताम्र तार स्क्रैप ;" ;

(ख) टैरिफ मद 7404 00 22 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में; "आईएसआरआई कोड शब्द 'पर्च' " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"आईएसआरआई कोड शब्द 'पर्च' ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'एलेंड' के अंतर्गत आने वाले उच्च श्रेणी-निम्न सीसा कांस्य/पीतल ठोस ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'इलियास' के अंतर्गत आने वाले उच्च सीसा कांस्य ठोस और बोरिंग ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'लेस' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ ज्वलित 70/30 पीतल के कवच खोल जो प्राइमर और किसी अन्य विजातीय पदार्थ से मुक्त हैं ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'लेडी' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ ज्वलित 70/30 पीतल के कवच खोल, जिनके अंतर्गत पीतल के प्राइमर भी हैं और जिनके अंतर्गत कोई अन्य विजातीय पदार्थ नहीं है ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'लेक' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ ज्वलित 70/30 पीतल कवच जो बुलेट्स, लोहे और किसी अन्य विजातीय पदार्थ से मुक्त हैं ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'लैम्ब' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ मफल्ड (पोप्ड) 70/30 पीतल कवच, जो बुलेट्स्, लोहे और किसी अन्य विजातीय पदार्थ से मुक्त हैं " ;

(5) अध्याय 75 में, टैरिफ मद 7503 00 10 में स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "अन्य प्लवमान ढांचों को तोड़कर अभिप्राप्त निकल स्क्रैप" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अन्य प्लवमान ढांचों को तोड़कर अभिप्राप्त निकल स्क्रैप ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'वांट' के अंतर्गत आने वाली निकल-लोह बैटरियां, जिनका क्रेट, ताम्र टर्मिनल संयोजकों और आधिक्य द्रव्य से मुक्त रूप में विक्रय किया जाएगा, निकल-कैडियम से अवश्य ही मुक्त बैटरियां" ;

(6) अध्याय 76 में, शीर्ष 7602 में, टैरिफ मद 7602 00 10, के स्तंभ (2) में,—

(क) "आईएसआरआई कोड शब्द 'टलप'" शब्दों के स्थान पर, "आईएसआरआई कोड शब्द 'टेल्क'" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "आईएसआरआई कोड शब्द 'टेनरी'" शब्दों के स्थान पर, "आईएसआरआई कोड शब्द 'टैन' " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) "आईएसआरआई कोड शब्द 'टेस्टी' के अंतर्गत आने वाली "पुरानी एलुमिनियम पन्नी" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"आईएसआरआई कोड शब्द 'ट्रेटा' के अंतर्गत आने वाली नई एलुमिनियम पन्नी ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'टेस्ला' के अंतर्गत आने वाली पुरानी एलुमिनियम पन्नी ;" ;

(घ) "आईएसआरआई कोड शब्द 'ट्विच' के अंतर्गत आने वाला (मोटर गाड़ी श्रेडर से) खंडित एलुमिनियम स्क्रैप" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"आईएसआरआई कोड शब्द 'ट्विच' ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ट्रोमा' के अंतर्गत आने वाले एलुमिनियम आटो या ट्रक के पहिए ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ट्वीक' के अंतर्गत आने वाले आटोमोबाइल श्रेडरों से फ्रेगमेंटाइजर एलुमिनियम स्क्रैप ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ट्वायर' के अंतर्गत आने वाले ज्वलित फ्रेगमेंटाइजर एलुमिनियम स्क्रैप (आटोमोबाइल श्रेडर से) ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'जोरबा' के अंतर्गत आने वाले शीर्णित अलौह स्क्रैप (विशिष्टतया एलुमिनियम) ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'थिर्ल' के अंतर्गत आने वाले एलुमिनियम ड्रास, स्पेटनर्स, स्पेलिंग्स, स्किमंग्स और स्वीपिंग्स ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'टाटा' के अंतर्गत आने वाले नए उत्पादन एलुमिनियम उत्सारण ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'टेली' के अंतर्गत आने वाले आटोमोबाइल्स से सभी एलुमिनियम रेडिएटर ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'टोटो' के अंतर्गत आने वाले एलुमिनियम अपसारण 10/10 ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'टुटु' के अंतर्गत आने वाले व्यौहारी श्रेणी के एलुमिनियम अपसारण " ;

(7) अध्याय 78 में, टैरिफ मद 7802 00 10 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "आईएसआरआई कोड शब्द 'रोज़ेज' के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"आईएसआरआई कोड शब्द 'रोज़ेज';

आईएसआरआई कोड शब्द 'रेल' के अंतर्गत आने वाली सीसा बैटरी प्लेटें, चाहे आटोमोटिव, औद्योगिक या मिश्रित हों ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रेन्स' के अंतर्गत आने वाला स्क्रैप अपवहित/शुष्क से पूर्णतया अविकल सीसा ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रेक्स' के अंतर्गत आने वाले बैटरी लग्स, स्क्रैप सीसा रहित व्हील वेट्स, बैटरी प्लेटें, रबड़ या प्लास्टिक खोल सामग्री और अन्य विजातीय सामग्री से मुक्त ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रिले' के अंतर्गत आने वाला सीसा आच्छादित ताम्र केबल, कवच आच्छदित केवल और विजातीय पदार्थ से मुक्त ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रेन्टस' के अंतर्गत आने वाला सीसा ड्रास ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रिंक' के अंतर्गत आने वाली स्क्रैप वेट संपूर्ण युक्त सीसा बैटरियां, जिनमें एसएलआई (स्टार्टिंग, लाइटिंग और इंगनिशन), आटोमोटिव, ट्रक, 8-डी तथा वाणिज्य गोल्फ कार्ट और मेरिन किस्म की बैटरियां भी हैं ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रोनो' के अंतर्गत आने वाले स्क्रैप औद्योगिक युक्त सीसा सेल, जिनमें कुछ किस्म के पूर्ण प्लास्टिक खोल से संलग्न प्लेटें हैं ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रोपर' के अंतर्गत आने वाले स्क्रैप पूर्णतया युक्त औद्योगिक सीसा बैटरियां, जिनके अंतर्गत बस, डीजल, लोकोमोटिव, टेलीफोन या स्टील के खोल वाली बैटरियां भी हैं ;" ;

(8) अध्याय 79 में, टैरिफ मद 7902 00 10 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, 'जस्ता' के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"'जस्ता' ;

आईएसआईआर कोड शब्द 'स्क्रोल' के अंतर्गत आने वाला आटोमोबाइल फ्रेगमेंटाइजर से उत्पादित अनवृत जिंक डाई कास्ट स्क्रैप, जिसमें लगभग 55% स्क्रैप वाला जिंक है ";

(9) अध्याय 87 में,—

(क) टैरिफ मद 8712 00 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 8714 91 00 से 8714 99 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

चौथी अनुसूची

(धारा 128 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, सभी प्रकार के क्रोमियम अयस्क और सांद्रों से संबंधित क्रम सं0 24 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 139 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 62(अ), तारीख 6 फरवरी, 2010 [1/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 फरवरी, 2010]	उक्त अधिसूचना के पैरा 9 में "इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :— "यथास्थिति, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या पैरा 8 के खंड (ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से"।	6 फरवरी, 2010

छठी अनुसूची

(धारा 140 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में, क्रम सं0 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं0	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
"26क	2402 20 10 से 2402 20 90	सभी माल"।

सातवीं अनुसूची

(धारा 141 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 4 की टैरिफ मद 0402 91 10 और 0402 99 20 के स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 11 में,—

(क) शीर्ष 1107 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 1108 (टैरिफ मद 1108 20 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 13 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 14 में, टैरिफ मद 1404 90 50 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 15 में,—

(क) शीर्ष 1501 और 1502 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 1503 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 1504 से 1516 और 1517 (1517 10 22 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 1517 10 22 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 1518 की सभी टैरिफ मदों में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 1520 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) शीर्ष 1521 और 1522 की सभी टैरिफ मदों में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 16 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 17 में,—

(क) शीर्ष 1701 की सभी टैरिफ मदों के (टैरिफ मद 1701 13 20 और 1701 14 20 के सिवाय), 1702 (टैरिफ मद 1702 90 10 के सिवाय) और 1704 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 1701 13 20 और 1701 14 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 18 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 19 में,—

(क) टैरिफ मद 1901 10 10 और 1901 10 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 1901 20 00, 1901 90 10 और 1901 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 1902 11 00, 1902 19 00, 1902 20 10, 1902 20 90, 1902 30 10 और 1902 30 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 1902 40 10 और 1902 40 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 1903 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) शीर्ष 1904 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) टैरिफ मद 1905 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 1905 32 11, 1905 32 19 और 1905 32 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(झ) टैरिफ मद 1905 90 10 और 1905 90 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 20 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 21 में,—

(क) शीर्ष 2101 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2101 30 10, 2101 30 20 और 2101 30 90 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 2102, 2103 और 2104 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2105 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 2106 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2106 90 20 और 2106 90 92 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 2106 90 92 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 22 में,—

(क) शीर्ष 2201 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2201 90 10 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 2202 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2202 90 10 और 2202 90 20 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2202 90 10 और 2202 90 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2207 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 2209 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 24 में,—

(क) टैरिफ मद 2402 10 10 और 2402 10 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12% या 1370 रु0 प्रति हजार, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2402 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "60 मिलीमीटर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "65 मिलीमीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 2402 20 20 में,—

(i) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "60 मिलीमीटर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "65 मिलीमीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% + 1218 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में "60 मिलीमीटर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "65 मिलीमीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) टैरिफ मद 2402 20 40 में,—

(i) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "60 मिलीमीटर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "65 मिलीमीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10% + 809 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2402 20 50 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% + 1218 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) टैरिफ मद 2402 20 60 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% + 1624 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 2402 20 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% + 1948 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 25 में,—

(क) टिप्पण 6 में, "या पालिश" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2503 00 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2515 12 20 और 2515 12 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2523 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 2523 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2523 30 00, 2523 90 10, 2523 90 20 और 2523 90 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 26 में,—

(क) शीर्ष 2601 की टैरिफ मद 2601 11 10 से 2601 11 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
	"--- लौह अयस्क प्रपिंडक (60% एफई या उससे अधिक) :		
2601 11 11	---- 60% एफई या अधिक किंतु 62% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
2601 11 12	---- 62% एफई या अधिक किंतु 65% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
2601 11 19	---- 65% एफई के ऊपर	कि.ग्रा.	12%
	--- लौह अयस्क प्रपिंडक (60% एफई के नीचे जिसमें 10% एमएन काला लौह अयस्क सम्मिलित है) :		
2601 11 21	---- 55% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
2601 11 22	---- 55% एफई या अधिक किंतु 58% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
2601 11 29	---- 58% एफई या अधिक किंतु 60% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
	--- लौह अयस्क परिष्कृत (62% एफई या अधिक) :		
2601 11 31	---- 62% एफई या अधिक किंतु 65% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
2601 11 39	---- 65% एफई से ऊपर	कि.ग्रा.	12%
	--- लौह अयस्क परिष्कृत (62% एफई से नीचे) :		
2601 11 41	---- 55% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
2601 11 42	---- 55% एफई या अधिक परंतु 58% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
2601 11 43	---- 58% एफई या अधिक किंतु 60% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
2601 11 49	---- 60% एफई या अधिक किंतु 62% एफई से नीचे	कि.ग्रा.	12%
2601 11 50	--- लौह अयस्क सांद्र	कि.ग्रा.	12%
2601 11 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	12%" ;

(ख) टैरिफ मद 2601 12 10, 2601 12 90 और 2601 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 2602 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2603 00 00, 2604 00 00 और 2605 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 2606 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2607 00 00, 2608 00 00 और 2609 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) शीर्ष 2610 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 2611 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(झ) शीर्ष 2612, 2613, 2614, 2615, 2616 और 2617 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ञ) टैरिफ मद 2618 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ट) शीर्ष 2619, 2620 और 2621 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 27 में,—

(क) शीर्ष 2701, 2702, 2703, 2704 और 2706 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 2707 और 2708 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2710 12 11 से 2710 12 90 में स्तंभ (4) में, "16%+15 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि के स्थान पर, "14%+15 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2710 19 10 और 2710 19 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 2710 19 30 और 2710 19 40 में स्तंभ (4) में, "16%+5 रुपए प्रति लीटर" में प्रविष्टि के स्थान पर, "14%+5 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2710 19 50, 2710 19 60, 2710 19 70, 2710 19 80 और 2710 19 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) टैरिफ मद 2710 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "14%+15 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) शीर्ष 2711, 2712, 2713, 2714 और 2715 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 28 में,—

(क) शीर्ष 2801, 2802, 2803, 2804 (2804 40 10 के सिवाय), 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843 और 2844 (2844 30 22 के सिवाय) में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2845 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 2846 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2847 00 00 में, स्तंभ (4) में, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 2848, 2849 और 2850 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2852 00 00 में स्तंभ (4) में, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) शीर्ष 2853 (2853 00 30 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 29 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 30 में,—

(क) शीर्ष 3001 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 3002 20 11 से 3002 30 00 में, स्तंभ (4) में, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 3003, 3004 और 3005 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 3006 (3006 60 10, 3006 60 20, 3006 60 30 और 3006 92 00 के सिवाय), की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 31 में, शीर्ष 3102, 3103, 3104 और 3105 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 32 में,—

(क) सभी टैरिफ मदों (3215 90 10 और 3215 90 20 के सिवाय), के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 3215 90 10 और 3215 90 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 33 में, शीर्ष 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306 और 3307 (3307 41 00 के सिवाय) में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 34 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 35 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(25) अध्याय 36 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) अध्याय 37 में, शीर्ष 3701, 3702, 3703, 3704 और 3707 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 38 में,—

(क) सभी टैरिफ मदों (3824 50 10, 3825 10 00, 3825 20 00 और 3825 30 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 3824 50 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(28) अध्याय 39 में,—

(क) सभी टैरिफ मदों के (3916 10 20, 3916 20 11, 3916 20 91 और 3916 90 10 के सिवाय) सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 3916 10 20, 3916 20 11, 3916 20 91 और 3916 90 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(29) अध्याय 40 में,—

(क) शीर्ष 4002 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 4003 00 00 और 4004 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 4005, 4006, 4007, 4008 (4008 19 10, 4008 21 10 और 4008 29 20 के सिवाय), 4009, 4010 और 4011 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 4012 90 10 से 4012 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 4013, 4014 (4014 10 10 और 4014 10 20 के सिवाय), 4015, 4016 और 4017 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(30) अध्याय 42 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(31) अध्याय 43 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(32) अध्याय 44 में,—

(क) शीर्ष 4401, 4403, 4404, 4406, 4008 (4408 10 30, 4408 31 30, 4408 39 30 और 4408 90 20 के सिवाय), 4409, 4410, 4411 और 4412 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 4413 00 00 और 4414 00 00 में स्तंभ (4) में, की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 4415 और 4416 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 4417 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 4418, 4419, 4420 और 4421 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(33) अध्याय 45 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(34) अध्याय 46 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(35) अध्याय 47 में,—

(क) टैरिफ मद 4701 00 00 और 4702 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 4703 और 4704 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 4705 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 4706 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 4707 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(36) अध्याय 48 में,—

(क) टिप्पण 13 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"14. टिप्पण 12 में किसी बात के होते हुए भी, यदि शीर्ष 4811, 4816 या 4820 के कागज और कागज उत्पादों का, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे कागज उत्पाद किसी लिपि, नाम, लोगो, मोटिफ या रूप विधान के साथ मुद्रित किए जाते हैं, जहां तक वे आगे और मुद्रण या लेखन हेतु प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं, संबंधित शीर्षों के अधीन वर्गीकृत किए जाते रहेंगे" ;

(ख) शीर्ष 4802 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) शीर्ष 4803 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(घ) शीर्ष 4804 और 4805 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ङ) शीर्ष 4806 (4806 20 00 और 4806 40 10 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(च) टैरिफ मद 4806 20 00 और 4806 40 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(छ) शीर्ष 4807 और 4808 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ज) शीर्ष 4809 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(झ) शीर्ष 4810 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ञ) शीर्ष 4811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ट) टैरिफ मद 4812 00 00 में स्तंभ (4) में, की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ठ) शीर्ष 4813, 4814 और 4816 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ड) टैरिफ मद 4817 10 00 और 4817 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ढ) शीर्ष 4818 और 4819 (4819 20 10 के सिवाय), 4820, 4821, 4822 और 4823 (4823 90 11 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(37) अध्याय 49 में,—

(क) शीर्ष 4908 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 4909 और 4910 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(38) अध्याय 50 में, शीर्ष 5004, 5005, 5006 और 5007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(39) अध्याय 51 में, शीर्ष 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112 और 5113 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(40) अध्याय 52 में, शीर्ष 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211 और 5212 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(41) अध्याय 53 में, शीर्ष 5302, 5305, 5306, 5307 (5307 10 90 के सिवाय), 5308 (5308 10 10, 5308 10 20 और 5308 10 90 के सिवाय), 5309, 5310 और 5311 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(42) अध्याय 54 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(43) अध्याय 55 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(44) अध्याय 56 में, शीर्ष 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608 और 5609 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(45) अध्याय 57 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(46) अध्याय 58 में,—

(क) शीर्ष 5801 (5801 35 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 5802, 5803 और 5804 (5804 30 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 5805 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 5806 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 5807 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) शीर्ष 5808, 5809, 5810 और 5811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(47) अध्याय 59 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(48) अध्याय 60 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(49) अध्याय 61 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(50) अध्याय 62 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(51) अध्याय 63 में,—

(क) शीर्ष 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306 और 6307 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 6308 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(52) अध्याय 64 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(53) अध्याय 65 में,—

(क) शीर्ष 6501 और 6502 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 6504 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 6505 और 6506 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 6507 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(54) अध्याय 66 में,—

(क) शीर्ष 6601 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 6602 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 6603 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(55) अध्याय 67 में, शीर्ष 6702, 6703 और 6704 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(56) अध्याय 68 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(57) अध्याय 69 में,—

(क) सभी टैरिफ मदों (6901 00 10 और 6904 10 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 6901 00 10 और 6904 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(58) अध्याय 70 में,—

(क) सभी टैरिफ मदों (7012 00 00, 7018 10 10, 7018 10 20, 7020 00 11, 7020 00 12 और 7020 00 21 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 7020 00 11, 7020 00 12 और 7020 00 21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

http://indiabudget.nic.in

(59) अध्याय 71 में,—

(क) टिप्पण 13 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'13. शीर्ष 7113 और 7114 के प्रयोजनों के लिए बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से अधिपट्टित धातु के आभूषणों की वस्तुओं पर या स्वर्णकार या रजतकार की वस्तुओं पर व्यापार नाम या ब्रांड नाम चिपकाने या समुद्भृत करने की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएंगी ।';

(ख) शीर्ष 7101, 7103, 7104 (7104 10 00 के सिवाय), 7105 और 7106 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 7104 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 7107 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 7108 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 7109 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) शीर्ष 7110 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 7111 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(झ) टैरिफ मद 7112, 7113, 7114, 7115 और 7116, की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ञ) शीर्ष 7117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ट) शीर्ष 7118 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(60) अध्याय 72 में,—

(क) टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'6. शीर्ष 7208 के उत्पादों के संबंध में तैलाक्त करना या अम्लोपचारी या दोनों "विनिर्माण" की कोटि में आएंगे ।' ;

(ख) सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(61) अध्याय 73 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(62) अध्याय 74 में,—

(क) शीर्ष 7401, 7402 और 7403 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 7404 में,—

(i) टैरिफ मद 7404 00 11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7404 00 12 में—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "आईएसआरआई कोड शब्द 'पाल्मस' के अंतर्गत आने वाले मुंटज धातम नलिकाएं" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"आईएसआरआई कोड शब्द 'पाल्मस' के अंतर्गत आने वाले मुंटज, धातम नलिकाएं ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ड्रोव' के अंतर्गत आने वाले ताम्र-मिश्रित मंथन, घर्षण, भस्म, लोहीय, पीतल और ताम्र, अवशेष तथा धातुमल ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ड्रयूड' के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के इन्सुलिन वाले ताम्र तार स्क्रैप" ;

(ख) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 7404 00 19 और 7404 00 21 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 7404 00 22 में—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "आईएसआरआई कोड शब्द 'पर्च'" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"आईएसआरआई कोड शब्द 'पर्च' के अंतर्गत आने वाले मैगनीज कांस्य के ठोस ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'एलेंड' के अंतर्गत आने वाले उच्च श्रेणी-निम्न लैड कांस्य/पीतल ठोस ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'इलीस' के अंतर्गत आने वाले उच्च लैड कांस्य ठोस और बोरिंग ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'फीता' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ ज्वलित 70/30 प्रीमियर और किसी अन्य बाह्य पदार्थ से मुक्त पीतल सैल खोल ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'लाडी' के अंतर्गत आने वाले पीतल प्रीमियर वाले पीतल सेल खोल और कोई अन्य बाह्य पदार्थ न होने वाले ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'लाक्षक' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ ज्वलित 70/30 पीतल सैल मुक्त बुलैट्स, लोहा और कोई अन्य बाह्य पदार्थ ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'लैम्ब' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ मफल (पोपड) 70/30 पीतल सेल मुक्त बुलैट्स्, लोहा और कोई अन्य बाह्य पदार्थ " ;

(ख) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 7404 00 23 और 7404 00 29 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 7405 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411 और 7412 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 7413 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) शीर्ष 7415, 7418 और 7419 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(63) अध्याय 75 में,—

(क) शीर्ष 7501 और 7502 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 7503 00 10 में,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "अन्य प्लवमान ढांचों को तोड़कर अभिप्राप्त निकल स्क्रैप" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"अन्य प्लवमान ढांचों को तोड़कर अभिप्राप्त निकल स्क्रैप ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'वांट' के अंतर्गत आने वाली निकल कैडमियम बैटरियों से अवश्य ही मुक्त क्रेट, ताम्र टर्मिनल संयोजकों और अधिक तरल से मुक्त विकृत की जाने वाली निकल-लौह बैटरियां ;" ;

(ख) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 7503 00 90 और 7504 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 7505, 7506, 7507 और 7508 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(64) अध्याय 76 में,—

(क) टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. शीर्ष 7607 के उत्पादों के संबंध में एलुमिनियम पर्णिका की कटाई विदारण और मुद्रण की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी" ।' ;

(ख) शीर्ष 7601 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 7602 में,—

(i) टैरिफ मद 7602 00 10, —

(अ) स्तंभ (2) में,—

(I) "आईएसआरआई कोड शब्द 'तलप' " शब्दों के स्थान पर, "आईएसआरआई कोड शब्द 'टेल्क' " शब्द रखे जाएंगे ;

(II) "आईएसआरआई कोड शब्द 'तेनरी' " शब्दों के स्थान पर, "आईएसआरआई कोड शब्द 'टेन' " शब्द रखे जाएंगे ;

(III) "आईएसआरआई कोड शब्द पुरानी एलुमिनियम पन्नी 'टेस्टी' " शब्दों के अंतर्गत आने वाले "आईएसआरआई कोड शब्द 'टेटरा' के अंतर्गत आने वाली" नई एलुमिनियम पन्नी" शब्दों के स्थान पर, "आईएसआरआई कोड शब्द 'टेस्ला' के अंतर्गत आने वाली पुरानी एलुमिनियम पन्नी" शब्द रखे जाएंगे ;

(IV) "आईएसआरआई कोड शब्द 'त्वांग' " शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"आईएसआरआई कोड शब्द 'त्वांग' ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ट्रोमा' के अंतर्गत आने वाले एलुमिनियम आटो या ट्रक पहिए ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ट्वीक' के अंतर्गत आने वाले आटोमोबाइल श्रेडरों में फ्रेगमेंटाइजर एलुमिनियम स्क्रैप;

आईएसआरआई कोड शब्द 'ट्वायर' के अंतर्गत आने वाले ज्वलित फ्रेगमेंटाइजर एलुमिनियम स्क्रैप (आटोमोबाइल श्रेडर से) ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'जोरबा' के अंतर्गत आने वाले शीर्णित अलौह स्क्रैप (प्रेडोमिनटली एलुमिनियम) ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'थिर्ल' के अंतर्गत आने वाले एलुमिनियम ड्रास, स्पेटर्स, स्पेलिंग्स, स्किमंग और स्वीपिंग्स ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'टाटा' के अंतर्गत आने वाले नए उत्पादन एलुमिनियम उत्सारण ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'टेली' के अंतर्गत आने वाले आटोमोबाइल्स से सभी एलुमिनियम रेडिएटर ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'टोटो' के अंतर्गत आने वाले एलुमिनियम अपसारण 10/10 ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'टुटु' के अंतर्गत आने वाली एलुमिनियम अपसारण व्यौहारी श्रेणी " ;

(आ) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7602 00 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 और 7608 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 7609 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 7610 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 7611 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 7612, 7613, 7614, 7615 और 7616 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(65) अध्याय 78 में,—

(क) शीर्ष 7801 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 7802 00 10 में,—

(i) "आईएसआरआई कोड शब्द 'रोजज' के अंतर्गत आने वाला मिश्रित साधारण बबीट" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"आईएसआरआई कोड शब्द 'रोजज' के अंतर्गत आने वाला मिश्रित साधारण बबीट ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रेल' के अंतर्गत आने वाली सीसा बैटरी प्लेटें, चाहे आटोमोटिव, औद्योगिक या मिश्रित ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रेन्स' के अंतर्गत आने वाला स्क्रैप अपवहित/शुष्क से पूर्णतया अविकल ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रेक्स' के अंतर्गत आने वाला स्क्रैप सीसा रहित बैटरी लग, व्हील वेट्स, बैटरी प्लेटें, रबड़ या प्लास्टिक खोल सामग्री और अन्य विजातीय सामग्री ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रिले' के अंतर्गत आने वाला कवच आच्छादित केबल रहित सीसा आच्छादित तांबा केबल ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रेन्टस' के अंतर्गत आने वाला सीसा ड्रास ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रिंक' के अंतर्गत आने वाली स्क्रैप वेट संपूर्ण युक्त सीसा बैटरियां, जिनमें एसएलआई (स्टार्टिंग, लाइटिंग और प्रज्जवलन), आटोमोटोटिव, ट्रक, 8-डी तथा वाणिज्य गोल्फ कार्ट और मेरिन किस्म की बैटरियां भी हैं ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रोनो' के अंतर्गत आने वाले स्क्रैप औद्योगिक युक्त सीसा सेल, जिनमें कुछ किस्म के पूर्ण प्लास्टिक खोल से संलग्न प्लेटें हैं ;

आईएसआरआई कोड शब्द 'रोपर' के अंतर्गत आने वाले स्क्रैप पूर्णतया युक्त औद्योगिक सीसा बैटरियां, जिसके अंतर्गत बस, डीजल, लोकोमोटिव, टेलीफोन या स्टील के खोल वाली बैटरियां भी हैं " ;

(ii) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 7802 00 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 7804 और 7806 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(66) अध्याय 79 में,—

(क) शीर्ष 7901, में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 7902 00 10 में,—

(i) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "जस्ता" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"जस्ता ;

आईएसआईआर कोड शब्द 'स्क्रोल' के अंतर्गत आने वाला आटोमोबाइल फ्रेगमेनटाइजर से उत्पादित अनवृत जिंक, डाई, कास्ट, स्क्रैप, जो लगभग 55% स्क्रैप वाला जिंक है " ;

(ii) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 7902 00 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 7903, 7904, 7905 और 7907 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(67) अध्याय 80 में, शीर्ष 8001, 8002, 8003 और 8007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(68) अध्याय 81 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(69) अध्याय 82 में,—

(क) शीर्ष 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208 और 8209 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 8210 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 8211 और 8212 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 8213 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 8214 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) शीर्ष 8215 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(70) अध्याय 83 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(71) अध्याय 84 में,—

(क) शीर्ष 8401 से 8423, 8424 (8424 81 00 के सिवाय), 8425 से 8431, 8434, 8435, 8438 से 8451 और 8452 (8452 10 12, 8452 10 22, 8452 30 10, 8452 30 90, 8452 90 11, 8452 90 19, 8452 90 91 और 8452 90 99 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 8452 10 12, 8452 10 22, 8452 30 10, 8452 30 90, 8452 90 11, 8452 90 19, 8452 90 91 और 8452 90 99 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 8453 से 8468, 8469 (8469 00 30 और 8469 00 40 के सिवाय), 8470 से 8478 और 8479 (8479 89 91 और 8479 89 92 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 8479 89 92 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 8480 से 8484, 8486 और 8487 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(72) अध्याय 85 में,—

(क) टिप्पण 10 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'11. लिथिम आइंन बैटरियों को सुमेलित करने, बैच बनाने और चार्ज करने या बैटरी पैक को बनाने की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएंगी।';

(ख) शीर्ष 8501 से 8519, 8521, 8522, 8523, 8525 से 8533 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 8534 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 8535 से 8547 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 8548 90 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(73) अध्याय 86 में,—

(क) (8604 00 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 8604 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(74) अध्याय 87 में,—

(क) शीर्ष 8701 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 8702 10 11, 8702 10 12 और 8702 10 19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 8702 10 91 से 8702 10 99 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 8702 90 11 और 8702 90 12 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 8702 90 13 में, स्तंभ (4) में, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 8702 90 19 में, स्तंभ (4) में, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) टैरिफ मद 8702 90 20 से 8702 90 99 में स्तंभ (4) में, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 8703 10 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(झ) टैरिफ मद 8703 10 90 से 8703 22 99 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ञ) टैरिफ मद 8703 23 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ट) टैरिफ मद 8703 23 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ठ) टैरिफ मद 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99 और 8703 24 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ड) टैरिफ मद 8703 24 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ढ) टैरिफ मद 8703 24 91 से 8703 24 99 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ण) टैरिफ मद 8703 31 10 से 8703 31 99 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त) 8703 32 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ) टैरिफ मद 8703 32 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(द) टैरिफ मद 8703 32 91 से 8703 33 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध) टैरिफ मद 8703 33 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न) टैरिफ मद 8703 33 91 से 8703 33 99 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(प) टैरिफ मद 8703 90 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(फ) टैरिफ मद 8703 90 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "27%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ब) टैरिफ मद 8704 10 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(भ) टैरिफ मद 8704 10 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(म) टैरिफ मद 8704 21 10 से 8704 31 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(य) टैरिफ मद 8704 31 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यक) टैरिफ मद 8704 32 11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यख) टैरिफ मद 8704 32 19 और 8704 32 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यग) टैरिफ मद 8704 90 11 और 8704 90 12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यघ) टैरिफ मद 8704 90 19 और 8704 90 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यङ) शीर्ष 8705 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यच) टैरिफ मद 8706 00 11 और 8706 00 19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यछ) टैरिफ मद 8706 00 21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यज) टैरिफ मद 8706 00 29 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यझ) टैरिफ मद 8706 00 31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यञ) टैरिफ मद 8706 00 39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "24%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यट) टैरिफ मद 8706 00 41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यठ) टैरिफ मद 8706 00 42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यड) टैरिफ मद 8706 00 43 और 8706 00 49 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यढ) टैरिफ मद 8706 00 50 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यण) शीर्ष 8707 से 8709 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यत) टैरिफ मद 8710 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(यथ) शीर्ष 8711, 8712, 8714, 8715 और 8716 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(75) अध्याय 88 में,—

(क) शीर्ष 8801 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 8802 (8802 60 00 के सिवाय) और 8803 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 8804 और 8805 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(76) अध्याय 89 में,—

(क) शीर्ष 8901 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 8903 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 8904 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 8905 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 8906 90 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) शीर्ष 8907 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) टैरिफ मद 8908 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(77) अध्याय 90 में,—

(क) शीर्ष 9001 (9001 40 10, 9001 40 90 और 9001 50 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 9001 40 10, 9001 40 90 और 9001 50 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 9002 से 9008, 9010 से 9016 और 9017 (9017 20 10, 9017 20 20, 9017 20 30 और 9017 20 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 9017 20 10, 9017 20 20, 9017 20 30 और 9017 20 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 9018 और 9019 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 9020 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) शीर्ष 9022 से 9032 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 9033 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(78) अध्याय 91 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(79) अध्याय 92 में,—

(क) शीर्ष 9201, 9202 और 9205 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 9206 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 9207 से 9209 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(80) अध्याय 93 में,—

(क) शीर्ष 9301 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 9302 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 9303 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 9304 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 9305 और 9306 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 9307 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(81) अध्याय 94 में,—

(क) सभी टैरिफ मदों (9405 50 10 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 9405 50 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(82) अध्याय 95 में, शीर्ष 9503 से 9508 (9508 10 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(83) अध्याय 96 में,—

(क) शीर्ष 9601 से 9603 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 9604 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 9605, 9606 (9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29 10, 9606 29 90 और 9606 30 10 के सिवाय), 9607 और 9608 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29 10, 9606 29 90 और 9606 30 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 9609 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 9611 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) शीर्ष 9612 और 9613 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 9614 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(झ) शीर्ष 9616 और 9617 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ञ) टैरिफ मद 9618 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ट) शीर्ष 9619 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

आठवीं अनुसूची

(धारा 144 देखिए)

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2006 द्वारा यथा अंतःस्थापित केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 का उपनियम (6क), देखिए अधिसूचना, संख्यांक सा०का०नि० 134(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 [3/2011-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन०टी०), तारीख 1 मार्च, 2011]	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम 10 फरवरी, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(6क) उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि कराधेय सेवाएं किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी इकाई को या किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता को, उनके प्राधिकृत प्रचालनों के लिए, सेवा कर का संदाय किए बिना उपलब्ध कराई जाती हैं।"।	10 फरवरी, 2006 से 28 फरवरी, 2011 तक

नौवीं अनुसूची

(धारा 152 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में, टैरिफ मद 2402 20 10, 2402 20 20, 2402 20 30 और 2402 20 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "60 मिलीमीटर" अंकों और शब्द के स्थान पर क्रमशः "65 मिलीमीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

दसवीं अनुसूची

(धारा 154 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में, टैरिफ मद 2402 20 10, 2402 20 20, 2402 20 30 और 2402 20 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "60 मिलीमीटर" अंकों और शब्द के स्थान पर, क्रमशः "65 मिलीमीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
16 मार्च, 2012 **प्रणब मुखर्जी**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 16 मार्च, 2012 के पत्र सं० एफ० 2(10)-बी०(डी०)/2012 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2012 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करती हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करती हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 16 मार्च, 2012 को बजट पेश किए जाने के ठीक पश्चात् पुरःस्थापित किया जाएगा।

http://indiabudget.nic.in